मुख्य मंत्री

श्री मुलायम सिंह यादव

का

1990-91 के बजट अनुमानों

पर

NIEPA DC
D05494

बजट भाषण

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5494
Date 11/12/90

वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों पर मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव का बजट भाषण

माान्यवर,

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रदेश की तेरह करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे इस आदरणीय सदन के विद्वान और जन्नसेवारत सदस्यों के सम्मुख अपने इस पुनीत दायित्व का निर्वहन करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है।

छः महीने पहले देश की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन की आकांक्षा से सत्ता परिवर्तन का सामूहिक निर्णय किया था। सत्ता परिवर्तन की इस बयार में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे दल की घोषित नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर हमें अपने स्नेह और विश्वास की थाती सौंपी। जनता के इस विश्वास और आकांक्षा को मूर्त रूप देने का दायित्व हमारे दल ने लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण करते हुए सर्वसम्मति से मुझ जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को सौंपा। जनता को किये गये वायदे हमें सतत् सतर्क और सक्रिय रहकर पाँच सालों में पूरे करने है। प्रस्तुत आय-व्ययक इसी दिशा में पहला विनम्र प्रयास है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और भारत के गांवों तथा उनके लोगों को स्वावलम्बी बनाना ही आजादी के आन्दोलन का लक्ष्य था। वर्तमान सरकार के कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु भी गांव है जहां गांववासी आज भी अपने उत्थान की आस लगाये बैठा है। गांवों और नगरों की आम जनता की उन्नति राजधानी में बैठकर केवल कागजों पर योजनाएं बनाने से नहीं हो सकती। इन योजनाओं की जमीन पर उतारना जरूरी है, इसलिए हम खुद चलकर जनता के पास जा रहे है। उससे समरस होकर हम उसका दुःख दर्द समझेंगे और तभी सही निदान कर सकेंगे। हमारा नारा है–"चलो गांव की ओर"। मुख्य मंत्री से लेकर छोटे-बड़े समस्त लोक सेवक गांवों और शहरी मलिन बस्तियों में जाकर नागरिकों की समस्याएं हल करेंगे और यह माननीय सदन जो आय-व्ययक स्वीकृत करेगा उसके पैसे-पैसे का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे।

आप सभी सहमत होंगे कि हर कार्यक्रम का एक वैचारिक आधार होता है। यह वैचारिक आधार हमें महात्मा गांधी को सही मायनों में समझने वाले महा समाजवादी, क्रान्तिकारी विचारक डा० राम मनोहर लोहिया से मिले है। मुझे गर्व है कि मैं भी उन तमाम सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से एक हूं जो अपनी तरुणाई में डा० लोहिया के समाजवादी सपनों के साझीदार बने। सम्पूर्ण क्रान्ति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी मूल्यों के लिए समर्पित आचार्य नरेन्द्र देव के विचार भी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे है। गांव व किसानों के सबसे बड़े प्रवक्ता चौधरी चरण सिंह की नीतियां एवं अनूठी कार्यशैली हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में अत्यंत सहायक होगी। इन महान् नेताओं

के आदर्शों एवं विचारों का समावेश हमारे चुनाव घोषणा-पत्र की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नीतियों में है। अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत हमने इन्हीं नीतियों का परिलक्षण इस बजट में करने का प्रयत्न किया है।

इस सदन के सम्मानित नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी जी अपनी पत्नी के इलाज के लिए विदेश में होने के कारण आज उपस्थित नहीं है। हम कामना करते है कि श्रीमती तिवारी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करके श्री तिवारी के साथ वापस आयेंगी और श्री तिवारी इस बजट की चर्चा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में वर्तमान जनता दल सरकार द्वारा प्रस्तुत यह पहला बजट है, इसलिए पुराने बजट भाषणों की परम्परा से अलग हटकर आप सभी के माध्यम से आम जनता की इस सरकार के सामने खड़ी चुनौतियों, सीमित संसाधनों और प्रदेश के भावी विकास का दिशा बोध कराना बेहद जरूरी है।

1977 के बाद यह दूसरा अवसर है जब प्रदेश की जनता ने एक नई राजनीतिक धारा के पक्ष में ठोस और मजबूत बहुमत प्रदान किया है। जनाकांक्षा की इस महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर ही मैंने सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात उठाते हुए राज्य की जनता, विपक्षी दलों तथा समाचार-पत्रों से 6 माह का समय मांगा था ताकि इस सरकार की आन्तरिक स्थिति और सामने खड़ी चुनौतियों का आंकलन किया जा सके। अत्यन्त सन्तोष के साथ मैं कह सकता हूं कि एकाध अपवादों की छोड़कर कांग्रेस सहित सभी पक्षों से हमें पूरा सहयोग मिला है।

यह आरोप नहीं बल्कि एक दुखद सत्य है कि सामाजिक रूप से विघटित, प्रशासनिक रूप से निष्क्रिय और दिशाहीन तथा आर्थिक रूप से बेहद जर्जर ढांचा हमें विरासत में मिला है। इसके बावजूद व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए पिछले 6 महीने में राज्य की जनता ने यह महसूस किया है कि यह सरकार एक खुली हुई सरकार है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस सरकार में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। पिछली सरकारों की तुलना में यह एक गुणात्मक अन्तर है। यही खुलापन इस सरकार की शक्ति है। आम आदमी की यह अनुभूति महत्वपूर्ण है कि यह सरकार ढुलमुल नहीं रहेगी। यथास्थितिवादी और जड़ सरकार का कोई अर्थ नहीं है। पिछले चार दशकों को जड़ता से ग्रस्त लोगों के मन में पहली बार यह विश्वास पैदा हुआ है कि राजनीतिक विवाद या अलोकप्रियता का खतरा उठाकर भी यह सरकार जन-समस्याओं और चुनौतियों को लटकाने के बजाय हल करने को कोशिश करेगी। धैर्य, दृढ़ता और विद्वेष रहित होकर यह सरकार उन निहित स्वार्थी तत्वों के घेरे को तोड़ने का संकल्प करेगी, जिनके मुंह में सत्ता का खून लग चुका है और आक्टोपस की तरह जिनकी जकड़ नौकरशाही, पुलिस, राजनीति, बुद्धिजीवी और पत्रकारों की ओर बढ़ रही है। व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग में यह अप्रत्यक्ष लेकिन सबसे गम्भीर चुनौती है। शपथ ग्रहण के बाद चाहे आरक्षण विरोधी आन्दोलन हो, साम्प्रदायिक विद्वेष या दूसरे तरह के वर्ग संघर्ष, सबके पीछे यही तत्व अलग-अलग शक्लों में खड़े थे, लेकिन अभूतपूर्व जन-समर्थन के द्वारा हमने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। पिछले 6 महीने में लगभग 50 जिलों की जनता से सीधा सम्पर्क करके मैंने व्यवस्था परिवर्तन की ललक और सहयोग स्वयं अनुभव किया है।

पिछले 6 महीनों में चुनाव घोषणा-पत्र के माध्यम से अपनी जन-प्रतिबद्धता और साफ नियत सिद्ध करने की कोशिश भी व्यवस्था परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। दस हजार रुपये तक की ऋण माफी योजना, पचास प्रतिशत से अधिक धन का ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जीवन्त बनाने की कोशिश तथा अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त कर हिन्दी और देशी भाषाओं का व्यवहार इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिये वर्तमान आरक्षण नीति की जारी रखने के साथ ही साथ राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा-पत्र में किये गये वायदे के अनुसार हम मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिये भी दृढ़ संकल्प हैं। इन सिफारिशों की लागू करते समय यह ध्यान में रखा जायगा कि गरीब चाहे जिस जाति का हो उसे न्याय मिले।

मुझे सन्तोष है कि व्यवस्था परिवर्तन को असम्भव कल्पना मानकर व्यंग करने वाले बुद्धिजीवियों ने यह मानना शुरू किया है कि सचमुच कुछ सार्थक पहल हुई है। नौकरशाही और पुलिस ने भी 6 माह में सरकार की नीतियों और इरादों को समझकर अपने व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सचिवों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का गावों में रात बिताने का निर्णय अभूतपूर्व है।

यह धारणा भी मजबूत हुई है कि पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो अपने चुनावी वायदों के साथ बेईमानी नहीं करेगी और ईमानदारी तथा निश्छल भाव से अपनी विफलता भी स्वीकार कर लेगी। क्या यह एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत नहीं है ?

आप सब माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि विकास के "क्रान्तिरथ" के अबाध गति से बढ़ते रहने के लिए रचनात्मक वातावरण, सामाजिक शान्ति और सौहार्द आवश्यक है।

आर्थिक स्थिति

हमारा दुर्भाग्य है कि गत वर्षों में गलत प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमजोरी के कारण अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारा प्रदेश लगातार पिछड़ता गया।

1950-51 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 259 रु० थी जो देश की प्रति व्यक्ति आय 267 रु० की 97 प्रतिशत थी। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय का यह अन्तर बढ़ता गया। 38 वर्ष बाद 1988-89 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2698 रु० देश की प्रति व्यक्ति आय 3835 रु० की केवल 70.4 प्रतिशत थी। 1980 के बाद के वर्षों में प्रदेश और देश की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर बराबर बढ़ता रहा है और अन्य प्रदेशों से हम बहुत पीछे रह गये हैं। वर्ष 1987-88 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 5588 रु० थी। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु में यह आय क्रमशः 4807, 4214, 3592 और 3163 रु० थी, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2371 रु० थी।

हमारे प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र वर्ष में दो या तीन फसलों के लिये सर्वथा उपयुक्त है। फिर भी वर्ष 1982-83 से वर्ष 1986-87 तक की अवधि में प्रदेश की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता

खाद्यान्न में पंजाब का 47 प्रतिशत, गन्ना में तमिलनाडु का 50 प्रतिशत और आलू में गुजरात का 63 प्रतिशत ही है। इसका परिणाम यह है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1983-84 से 1985-86 की अवधि में कृषि की प्रति व्यक्ति औसत आय केवल 954 रु० रही है जो बिहार और तमिलनाडु दो राज्यों की छोड़कर अन्य सभी बड़े राज्यों से कम है। पंजाब और हरियाणा की यह प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 2667 रु० और 2122 रु० रही है।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत कर्मी कृषि में कार्य करते थे, परन्तु कृषि की आय राज्य की कुल आय का केवल 49 प्रतिशत थी। इसके विपरीत अन्य खण्डों के कर्मियों, जो मुख्यतः शहरों में ही हैं, का कुल कर्मियों में प्रतिशत भाग कम परन्तु आय में अधिक था। इससे भी अधिक चिन्ता की बात यह है कि 1971 और 1981 के बीच कृषि कर्मियों के प्रतिशत भाग में तो नाम मात्र 3 प्रतिशत की कमी हुई, किन्तु कृषि की आय का प्रतिशत भाग 58.4 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत हो गया, अर्थात् इसमें 9.4 प्रतिशत की कमी हो गयी। इससे आय के वितरण में बढ़ते हुए असतुलन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय असमानतायें भी बढ़ती जा रही हैं। लगभग 16 वर्ष पूर्व 1973-74 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय शहरी क्षेत्रों के इस व्यय से 9.97 प्रतिशात कम था किन्तु वर्ष 1986-87 में यह कमी बढ़कर 26.35 प्रतिशत हो गयी।

कृषि उत्पादन में सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान है, परन्तु पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होते हुए भी वर्ष 1985-86 में प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल केवल 58.9 प्रतिशत है जबकि हमारे सरीखे कृषि प्रधान पंजाब में सिंचित क्षेत्रफल 86.4 प्रतिशत है।

इसी प्रकार प्रदेश में उद्योगों का भी वांछित विकास नहीं हो पाया है। औद्योगिक विकास में प्रदेश के पिछड़ेपन का एक मोटा अनुमान केवल इसी से ही जायगा कि वर्ष 1986-87 में उद्योगों के संगठित अथवा पंजीकृत सेक्टर में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की इस आय का केवल 28 प्रतिशत है।

राज्यों की आय की वृद्धि मुख्यतः कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन बढ़ाने में विद्युत् का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु विद्युत् की स्थिति हमारे प्रदेश में काफी असंतोषजनक रही है। 31 मार्च, 1988 की विद्युत् का प्रति व्यक्ति उपभोग प्रदेश में केवल 135 यूनिट था, जबकि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में क्रमशः 515, 373, 347 और 306 यूनिट था। हमारे यहां केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार फरवरी, 1990 तक केवल 71 प्रतिशत ग्रामों का ही विद्युतीकरण हो पाया है जबकि 1987-88 तक पंजाब, हरियाणा, केरल और हिमाचल प्रदेश में 100 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका था और तमिलनाडु, महाराष्ट्र कर्नाटक, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश भी 100 प्रतिशत के निकट पहुंच गये थे। विद्युत् की यह कमी प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा अवरोध है।

प्रदेश के भीतर अन्तर्क्षेत्रीय विषमतायें भी बढ़ी हैं। प्रदेश के तीन क्षेत्र, पर्वतीय, बुन्देलखण्ड और पूर्वी, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। प्रदेश की लगभग आधी जनसंख्या (46.8 प्रतिशत), आधे से भी अधिक

क्षेत्रफल (56.5 प्रतिशत) और लगभग आधा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (47.7 प्रतिशत) इन्हीं पिछड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। अतः जब तक इन क्षेत्रों के त्वरित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, पूरे प्रदेश का विकास अवरुद्ध रहेगा। इन क्षेत्रीय विषमताओं के साथ-साथ विभिन्न आय वर्गों में भी व्यक्तिगत आय की विषमतायें गम्भीर हैं। वर्ष 1983 के सर्वेक्षण के अनुसार उपभोक्ता व्यय की दृष्टि से लगभग 8 प्रतिशत उच्चतम वर्ग के लोगों का उपभोक्ता व्यय राज्य के कुल उपभोक्ता व्यय का लगभग 22 प्रतिशत, निम्नतम वर्ग के 34 प्रतिशत लोगों का लगभग 18 प्रतिशत और मध्यम वर्ग के 58 प्रतिशत लोगों का लगभग 60 प्रतिशत है।

प्रदेश की वर्तमान भयंकर गरीबी और बेरोजगारी इसी सबका परिणाम है। वर्ष 1983 के सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश की 45.3 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 5.31 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते थे, जो 1977-78 की तुलना में 25 लाख अधिक थे।

गरीबी का कारण मुख्यतः बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगारी ही होता है। अतः राज्य की गरीबी और उसमें हुई उक्त वृद्धि से यहां की बेरोजगारी और अल्प रोजगारी एवं उनकी वृद्धि का भी अनुमान लगाया जा सकता है। रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करके ही गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। रोजगार भी लाभकारी और उत्पादक होना चाहिए अन्यथा यह टिकाऊ नहीं होगा। वर्ष 1971 में पंजीकरण के आधार पर 4.25 लाख व्यक्ति रोजगार के अवसर ढूंढ रहे थे यह संख्या बढ़कर 1987 में 32.69 लाख हो गयी है।

माननीय सदस्यगण अवगत है कि चालू वित्तीय वर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। भारत सरकार से आठवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र हमें प्राप्त हो गया है और अगली अठारह जून को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में उस पर विचार-विमर्श होगा। राष्ट्रीय स्तर पर आठवीं योजना के लक्ष्य, कार्यक्रम और रणनीति की अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना का भी अन्तिम स्वरूप निर्धारित हो सकेगा।

आप जानना चाहेंगे कि हमारे परिवर्तन की मुख्य दिशा क्या होगी। यह बताने के लिए आपकी अनुमति से मैं आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जिनका पूर्ण स्नेह मुझे प्राप्त था, एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा। उनका यह वाक्य मेरे लिए मूलमंत्र और भारत के विकास-मार्ग की कुंजी जैसा है। उन्होंने कहा था:—

> "यदि देश की बचाना है तो नेहरूवादी नीति के
> स्थान पर गाँधीवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा।"

21 सूत्रीय कार्यक्रम

इसी रणनीति के तहत वर्तमान सरकार ने अपने नीति निर्देशक तत्वों के रूप में 21 सूत्रीय कार्यक्रम स्वीकार किया है। इस कार्यक्रम में जहां एक ओर प्रदेश की जनता की दीर्घकालीन आर्थिक-सामाजिक प्रगति व समृद्धि का ध्यान रखा गया है, वहीं कल्याण कार्यक्रमों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा हमने

अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, शिल्पकारों तथा बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है । महिलाओं को विकास प्रक्रिया में विशेष अवसर देने पर भी हमने बल दिया है । वृद्धजनों, निराश्रितों, विकलांगों, विधवाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पर भी हम समय-बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये शासन तन्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस तन्त्र को इसी दृष्टि से सुधारने के लिये हमने संवेदनशील, जवाबदेह एवं प्रभावी प्रशासन की स्थापना, सत्ता के विकेन्द्रीकरण और भ्रष्टाचार निवारण की ओर विशेष ध्यान देकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पारदर्शी बनाने पर बल दिया है।

वार्षिक योजना

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने हमारी वार्षिक योजना वर्ष 1990-91 के लिये 3383 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है । यह परिव्यय गत वर्ष 1989-90 के 2970 करोड़ रुपये के परिव्यय की अपेक्षा 413 करोड़ रुपये अर्थात् 13.9 प्रतिशत अधिक है । यह वृद्धि हमारी आठवीं योजना के लिये एक अच्छी शुरुआत है जब कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1985-86 के परिव्यय में छठी योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 के परिव्यय की अपेक्षा केवल 9.3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी । 3383 करोड़ रुपये की योजना में 3053 करोड़ रुपये मैदानी क्षेत्र के लिये ओर 330 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र के लिये निर्धारित किया गया है । केन्द्रीय योजना आयोग के इस न्यायसंगत दृष्टिकोण के लिए हम अभारी है ।

माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा-पत्र में किये गये वायदे के अनुरूप इस वार्षिक योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर कुल परिव्यय का 51.3 प्रतिशत खर्च किया जायेगा ।

नई दिशायें : नये कार्यक्रम

वर्ष 1990-91 के लिए आज प्रस्तुत इस बजट की मदों का विभागवार विस्तृत विवरण आपको वितरित साहित्य में यथा स्थान मिलेगा और उन सबका जिक्र यहां करना न तो सम्भव है और न ही मुनासिब, क्योंकि अगर मैं वह सब गिनाऊंगा तो यह सभा रात काफी देर तक चलानी पड़ेगी । मैं यहां कुछ प्रमुख और नये बजट प्रस्तावों का जिक्र करूंगा जिनको जानने के लिए आपकी विशेष अभिरुचि होगी ।

इस वर्ष के पहले सब में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ऋण राहत योजना इंगित की गई थी । उसे साकार रूप देते हुये हमने किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, शिल्पकारों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनके द्वारा 2-10-1989 तक या उससे पूर्व सहकारी ऋण संस्थाओं से लिये गये ऋण के अतिदेयों से राहत दिलाने के उद्देश्य से ऋण राहत योजना घोषित की है । इस योजना में काश्त की

कोई सीमा नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत उन कर्जदारों को दस हजार रुपये तक राहत मिलेगी, जो आदतन नादेहन्द नहीं हैं। इस हेतु वर्ष 1990-91 के प्रस्तुत बजट में फिलहाल 350 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है। इस योजना का लाभ लगभग 36 लाख सदस्यों को मिलेगा और यह सभी सहकारी सदस्य नया ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जायेंगे। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि देश में सर्वप्रथम हमारी योजना घोषित हुई और ऋण माफी के कार्य का शुभारम्भ हुआ।

दिनांक 1 जुलाई, 1990 से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित किसानों की राहत को दरों में वृद्धि की गयी है। फसल को मुख्य रूप से ओले से भी काफी क्षति होती है। ओले से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगली फसल बोने के लिए उसकी क्षमता प्रभावित न हो, हमने यह निर्णय लिया है कि आगामी कृषि वर्ष में ऐसे किसानों की जिनकी फसल को ओले से 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुयी हो, 300 रु० प्रति एकड़ क्षेत्रफल की दर से राहत दी जाय। इसकी अधिकतम सीमा 500 रु० होगी।

हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में वयोवृद्ध नागरिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा का विशेष संकल्प किया गाया था। पूर्व में चल रही वृद्धावस्था पेंशन योजना मात्र प्रतीक स्वरूप थी और उसका लाभ बहुत थोड़े से लोगों को मिल पा रहा था। अपने वायदे के अनुरूप हमने इस योजना को काफी व्यापक और उदार बना दिया है ताकि बड़ी संख्या से हमारे ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हो सकें। सरकार ने अब वृद्धावस्था पेंशन 60 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रु० प्रतिमाह कर दिया है और न्यूनतम अर्हता आयु भी 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी है। यह निर्णय दिनांक 1 जनवरी, 1990 से प्रभावी है। अब इस योजना का लाभ उन सभी वृद्धजनों को मिलेगा जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में ढाई एकड़ भूमि या उससे कम हो अथवा वह भूमिहीन हो। शहरी क्षेत्र में 225 रु० प्रतिमाह या उससे कम आय के व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के पात्र होंगे। इस हेतु प्रस्तुत बजट में 56.62 करोड़ रु० का प्राविधान है।

हमने निराश्रित विधवाओं तथा निराश्रित विकलांगों को दिये जाने वाले भरण-पोषण अनुदान को भी 60 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रु० प्रतिमाह कर दिया है। वर्ष 1990-91 में लगभग सवा तीन लाख लाभार्थियों हेतु वित्तीय प्राविधान किया गया है।

भूमि और श्रम शक्ति को परस्पर सम्बद्ध सम्पदाओं की समृद्धि के लिए भूमि सेना योजना इस वर्ष से लागू की जा रही है जिससे हम ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करायेंगे। प्रदेश की ऊसर, बंजर, कटावग्रस्त एवं बीहड़ भूमि का सुधार करके भूमिहीन मजदूरों को यथासम्भव आवंटित किया जायेगा। इस योजना में 16 जनपदों में बीहड़, कटावग्रस्त, ऊसर या बंजर भूमि निर्दिष्ट की जायेगी। बीहड़ और कटावग्रस्त भूमि पर वनीकरण का कार्य होगा और ऊसर व बंजर भूमि पर ऊसर सुधार कार्य होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों में तालाब-झील, बंधिया और कुएँ खुदवाने तथा गहरा कराने तथा भूमि एवं कृषि संबंधी अन्य कार्यों के लिए मजदूरों को संगठित करके रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। एक वर्ष बाद इस योजना का मूल्यांकन करके विस्तार पर विचार होगा। इस योजना के लिए 1990-91 में 35 करोड़ रु० मैदानी क्षेत्र में तथा 3 करोड़ रु० पहाड़ी क्षेत्र में प्राविधानित है।

आज भी हमारे गाँवों में विशेष रूप से महिलाओं की शौचालयों के अभाव में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह लज्जा का विषय है। इस समस्या के निदान के लिए हमने अपने चुनाव भाषणों में जो वायदा किया था उसकी पूर्ति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख निजी शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। कार्यक्रम में लाभार्थियों के सक्रिय योगदान पर विशेष बल दिया जायेगा। लोक महत्त्व की इस योजना में अनुदान का अनुपात 80 प्रतिशत रखा गया है। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की प्राथमिकता दी जायगी। इस परियोजना हेतु इस आय-व्ययक में 26.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

सात पंचवर्षीय योजनायें पूरी होने के बाद भी प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों के भवनों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। मा० सदस्यों को मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस वर्ष सभी प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण पूरा कराने का निर्णय लिया है। इस वर्ष लगभग 15,000 स्कूल भवनों का निर्माण कराया जायेगा। उनके पूर्ण हो जाने के बाद सभी प्राइमरी स्कूलों के अपने भवन हो जायेंगे।

प्रदेश में बालकों की शिक्षा केवल कक्षा आठ तक निःशुल्क है। मुझे सम्मानित सदन को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि हमारी सरकार ने कक्षा बारह तक बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 22.57 लाख बालकों के परिवार लाभान्वित होंगे। इस कदम से राज्य कोष पर लगभग 13 करोड़ रु० का वार्षिक व्ययभार बढ़ेगा।

राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की यादगार में नगरों में उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिये भी हमने आय-व्ययक में समुचित व्यवस्था रक्खी है। हमने यह निर्णय लिया है कि डा० राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, चौ० चरण सिंह, श्री राजनारायण, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री बीर बहादुर सिंह, वीरांगना अवन्ती बाई, भारतरत्न बाबा भीमराव अम्बेदकर की मूर्तियां प्रथम चरण में स्थापित की जायेंगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति आभार प्रदर्शन के रूप में हमारी सरकार ने उनकी सम्मान पेंशन दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से 401 रु० से बढ़ाकर 500 रु० प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।

हमारे पत्रकारों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से जन-जन में स्वतंत्रता की अलख जगाने में चिरस्मरणीय भूमिका निभायी थी। सरकार ने यह निर्णय लिंया है कि ऐसे वयोवृद्ध पत्रकारों की सम्मानस्वरूप 1 जनवरी, 1990 से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाय।

हम प्रेस को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबल बनाने के लिए सजग प्रहरी के रूप में जिम्मेदारी निभायी है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लघु एवं छोटे समाचार-पत्र जो ग्रामीण अंचलों में पहुँचते है उनके आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार ने प्रतीक सहायता के रूप में निर्णय लिया है कि ऐसे छोटे समाचार-पत्र जो प्रथम बार

टेलीप्रिंटर की सुविधा 1 जुलाई, 1990 के पश्चात् प्राप्त करेंगे उन्हें पहले वर्ष में अर्थात् 12 महीनों के लिए अनुदान स्वरूप कुल व्यय का 25 प्रतिशत अथवा 10 हजार रुपये जो भी कम हो, स्वीकृत किया जायेगा। हमें विश्वास है कि इस कदम से छोटे समाचार पत्रों को खबरें समय से और साही ढंग से जनता के मध्य पहुँचाने में सुविधा होगी।

सामाजिक चेतना जागृत करने और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में साहित्यकारों एवं कलाकारों का बड़ा भारी योगदान है। अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे ख्याति प्राप्त साहित्यकारों एवं कलाकारों को जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है तथा जो विपन्न है, दिनांक 1 जनवरी, 1990 से आर्थिक सहायता दी जाय। साथ ही उन्हे सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

अल्प-संख्यक समुदायों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उन्हें अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के योग्य बनाने के लिए अल्प-संख्यक वित्तीय विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण की योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। हमारा प्रयास होगा कि ऋण सेवा शिविरों के माध्यम से अल्प-संख्यक समुदाय के लाभार्थियों को स्व-रोजगार हेतु अधिकाधिक धनराशि उपलब्ध करायी जाय।

प्रदेश के राज्य सहायता प्राप्त अरबी, फारसी मदरसों के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने तथा इन संस्थाओं के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित वेतन वितरण व्यवस्था लागू की गयी है। इस हेतु आय-व्ययक में 4 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है।

हज यात्रियों को और अधिक सुविधायें सुलभ कराने के उद्देश्य से उ० प्र० राज्य हज समिति के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रु० कर दिया गया है। साथ ही उर्दू अकादमी के भवन निर्माण को पूरा कराने के लिए इस आय-व्ययक में 50 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के लगभग दस हजार गाँव अनुसूचित जति/जनजाति बाहुल्य है। इनके सम्पूर्ण विकास के लिए इस वर्ष एक नयी योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है जिसमें ऐसे ग्रामों में पर्यावरण एवं जीवन स्तर में सुधार की व्यवस्था समन्वित एवं योजनाबद्ध ढंग से की जायेगी। भारत रत्न बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर जन्म शताब्दी वर्ष में प्रारम्भ की जाने वाली इस योजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों को "अम्बेदकर ग्राम" के नाम से जाना जायेगा।

हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु कई ठोस कदम उठाये है। अभियंत्रण व वस्त्र उद्योग में वर्षों से चली आ रही ठेका श्रमिक प्रणाली निषिद्ध कर दी गयी है। तम्बाकू, चमड़ा व चर्म वस्तुओं के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों का न्यूनतम वेतन वर्ष 1984 के पश्चात् पुनरीक्षित नहीं हुआ था। तम्बाकू निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों के 299 रु० के वेतन को अप्रैल 1990 से पुनरीक्षित करके अब अकुशल श्रमिकों को 676 रु० प्रतिमाह या 26 रु० प्रतिदिन, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को 793 रु० प्रतिमाह या 30.50 रु० प्रतिदिन और कुशल श्रमिकों को 910 रु० प्रतिमाह या 35 रु० प्रतिदिन निर्धारित कर दिया गया है। चर्म वस्तुओं के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों के वेतन को भी अप्रैल 1990 से बढ़ा दिया गया है तथा अब उन्हें अतिरिक्त परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता भी प्राप्त हो सकेगा।

औद्योगिक सम्बन्ध मधुर रखने के लिए अधिक से अधिक त्रिदलीय सम्मेलन किये जा रहे है । औद्योगिक झगड़ों को शीघ्र निपटाने के लिए 3 अतिरिक्त श्रम न्यायालयों की स्थापना की गयी है । बाकी छोटे-छोटे झगड़ों को हल करने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को, जिन्होंने 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, को संराधन अधिकारी के अधिकार दे दिये गये है । प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी योजना को अधिक सक्रिय रूप देने के लिए हमारी सरकार तत्पर है । श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके, इसके लिए 5 नये कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है तथा 60 शय्या वाले दो चिकित्सालयों (वाराणसी तथा पिपरी) को क्रियाशील किया जायेगा ।

हमारे शहरों में रिक्शा परिवहन का एक मुख्य साधन है । अभी रिक्शा चालक मात्र चालक ही है जिनका उत्पीड़न ठेकेदारों द्वारा किया जाता है । हम इस स्थिति को सुधार कर रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनायेंगे । इस हेतु हमारी सरकार ने एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत रिक्शा को लागत का 1/6 भाग ही रिक्शा चालक को देना होगा, 1/3 भाग राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा और 1/2 भाग बैंकों से ऋण के रूप में दिलाया जायेगा ।

माननीय सदन की ज्ञात है कि नगरों में बड़ी संख्या में अत्यन्त निर्धन एवं निराश्रित व्यक्तियों के रहने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है । मौसम की मार सहते हुए ऐसे लोग किसी न किसी तरह रात बिताते है । गत जाड़े के मौसम में इन निराश्रित व्यक्तियों की कठिनाइयों को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने देखा तथा उद्वेलित हुआ । हमने यह फैसला किया है कि बड़े-बड़े शहरों में ऐसे निराश्रित व्यक्तियों के लिए रैन बसेरे बनाये जायं जिनमें यह लोग खराब मौसम से बचकर रात गुजार सकें ।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि प्रदेश के पूर्वी जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम इस क्षेत्र में दो औद्योगिक विकास प्राधिकरणों-जौनपुर-सथरिया तथा सहजनवा-गोरखपुर की संकल्पना को मूर्त रूप देने जा रहे है । इनसे जहां एक ओर इस क्षेत्र में औद्योगीकरण के लिए पूँजी-निवेश में गति आयेगी वहीं स्थानीय लोगों के लिए नये रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे ।

हमारी सरकार की यह मान्यता है कि जब तक पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कारगर उपाय नहीं किये जाते तब तक पूरे प्रदेश का विकास भी रुका रहेगा । इसलिए प्रदेश के पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु इस आय-व्ययक में क्रमशः 20 करोड़ रु० एवं 5 करोड़ रुपये की निधियां हम सृजित करने जा रहे है जिससे इन क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण में सहायता मिलेगी । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र से हम विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग भी करेंगे ।

यह पाया गया है कि चुंगी एक जटिल शुल्क है तथा अनेक दोषों से ग्रसित है । बहुमूल्य वस्तुओं पर इसका यथामूल्य आपात कम होता है क्योंकि यह शुल्क वस्तु के वजन या संख्या के आधार

पर वसूल किया जाता है। चुंगी चौकियों पर वाहनों और माल को काफी समय तक रोके रखने से माल की त्वरित ढुलाई में रुकावट पड़ने के साथ-साथ ईंधन की खपत में अनावश्यक वृद्धि होती है। फलस्वरूप वाणिज्यिक और औद्योगिक कार्यकलापों का विकास अवरुद्ध होता है। परिवहन क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग में बाधा होती है। परिवहन तथा वस्तु सूची की लागत बढ़ जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय अपव्यय होता है। इसकी वसूली में व्यापार और परिवहन में लगे व्यक्तियों का उत्पीड़न भी होता है। चुंगी शुल्क के इन दोषों के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया और प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने तथा परिवहन क्षेत्र में क्षमता के पूर्ण उपयोग तथा इस कराधान में व्याप्त उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने हेतु प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों से चुंगी शुल्क को दिनांक 1 अगस्त, 1990 से समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसकी समाप्ति से स्थानीय निकायों को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु स्थानीय निकायों को वार्षिक आवंटन हेतु एक वित्त समिति का गठन किया जायेगा जो प्रथम वर्ष के आधार एवं वार्षिक वृद्धि के सिद्धान्तों पर संस्तुति देगी। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बिक्री कर पर वर्तमान में लागू 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर को तत्काल बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्थानीय निकायों के चुंगी से संबंधित कर्मचारी वर्ग की छटनी नहीं की जायेगी तथा उन्हें स्थानीय निकायों में अन्य पदों पर खपाया जायेगा। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही परिवहन, उद्योग एवं वाणिज्य वर्ग की यह मांग पूरी की जा रही है।

अब मैं माननीय सदस्यों की कुछ मुख्य विभागीय कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगा।

पर्वतीय विकास

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्याओं के समाधान व पिछड़ेपन की दूर करने के लिए वर्ष 1990-91 के लिए 330 करोड़ रु० का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें 183.05 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है।

हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क/पुल, सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि को असेवित और दूर-दराज क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में विकास प्रक्रिया की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने एवं स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने के विशेष प्रयासों पर बल दे रहे हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन हेतु बड़े पैमाने पर वनीकरण एवं जलागम विकास परियोजनायें जनता की सीधी भागीदारी में कार्यान्वित की जायेंगी।

कृषि क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग की दिशा में परिवर्तन कर उत्पादकता की बढ़ाने की दृष्टि से नकदी फसलें, बागवानी, फूलों की खेती, जड़ी-बूटियों के उत्पादन में विशेष बल दिया जायेगा। बागवानी विकास हेतु विदेशी सहायता से एक महत्वाकांक्षी परियोजना भी चलायी जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन की सम्भावनाओं की दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन विकास के वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। निजी क्षेत्रों में पर्यटन विकास पर भी जोर दिया जायेगा तथा चुने हुए पर्यटन

केन्द्रों का इस प्रकार विकास किया जायेगा कि वे समग्र विकास हेतु केन्द्र-बिन्दु का कार्य कर सकें । तीर्थ स्थानों के संबंध में यात्री प्रशासन संगठन का भी गठन किया जा रहा है । दुर्बल आय वर्ग के यात्रियों/पर्यटकों के लिए श्री बद्रीनाथ धाम में 500 शैय्याओं वाले स्वामी निवास का निर्माण कराया जायेगा । इस योजना पर 4.34 करोड़ रु० व्यय किये जाने का अनुमान है । इसी प्रकार ऋषिकेश में भी यात्रियों/पर्यटकों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए 1.12 करोड़ रु० की लागत से 200 शैय्याओं वाले आवास गृह का निर्माण कराया जायेगा । यात्रा मार्ग पर उचित भोजन एवं जलपान की समस्या के समाधान हेतु तुरन्ता भोजनालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है ।

पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ एवं अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए हमने नई औद्योगिक नीति में सीमान्त क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन रखा है ।

कृषि

कृषि उत्पादन की बढ़ावा देने के लिये प्रस्तुत बजट में हमने नयी रणनीति बनायी है जिसके अन्तर्गत कृषकों को कृषि निवेशों की आपूर्ति हेतु एक वृहत् कार्यक्रम बनाया गया है । साथ ही विश्व बैंक की सहायता से 176 करोड़ रु० की लागत से टी एण्ड वी (परीक्षण एवं प्रसार) कार्यक्रम प्रदेश के 30 मैदानी जनपदों में प्रारम्भ किया जायेगा, जिससे प्रदेश के सभी मैदानी जनपदों में कृषि की नई तकनीक का प्रसार हो सकेगा ।

भारत सरकार की सहायता से हम विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजनायें गेहूं, चावल, मक्का, चना,, अरहर तथा तिलहन के लिये चला रहे हैं । इस वर्ष किसानों को उन सभी जिलों में भी जहां केन्द्रीय योजनाये नहीं चल रही है, राज्य सरकार की ओर से बीज वितरण पर उतना ही अनुदान दिया जायेगाा जितना की भारत सरकार की योजनाओं द्वारा पोषित जिलों में दिया जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध ही सकेगी । इसके अतिरिक्त हस्तचालित ट्रैक्टरों के क्रय पर कृषि शिक्षा के साथ इण्टरमीडियेट और उच्चतर डिग्री वाले बेरोजगार व्यक्तियों की 33 1/3 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होगी । इसी प्रकार सूखोन्मुख क्षेत्रों में स्प्रिंक्लर/ड्रिप सिंचाई सेटों पर किसानों की 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति सेट होगी । इन सुविधाओं पर 3.5 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

प्रदेश के दस जनपदों में, जहां कम से कम 20,000 हैक्टेयर ऊसर भूमि उपलब्ध है, हम ऊसर सुधार के लिए एक वृहत् कार्यक्रम बना रहे हैं । लगभग 280 करोड़ रुपये को इस परियोजना के लिए हमने विश्व बैंक से अनुरोध किया है । इसके अतिरिक्त यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) की सहायता से आगरा और इटावा जनपदों में चल रही बीहड़ सुधार योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जायेगी ।

कृषि विभाग द्वारा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री के साथ 5 प्रतिशत सेवा शुल्क और 5 प्रतिशत प्रासंगिक व्यय किसानों से लिया जाता रहा है । हमने इस वर्ष से यह 10 प्रतिशत प्रभार समाप्त कर दिया है । इससे किसानों को कृषि रक्षा रसायन सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकेंगे और उन्हें एक करोड़ बीस लाख रुपये की राहत मिलेगी ।

कृषकों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से हमने आलू के समर्थन मूल्य में 10 रु० प्रति क्विन्टल की बढ़ोत्तरी कर दी है। इसी प्रकार सूरजमुखी के समर्थन मूल्य में 50 रु० प्रति क्विन्टल की बढ़ोत्तरी की गयी है। सेब के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोत्तरी की जा ही है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत इस वर्ष खरीफ सीजन में लगभग आठ हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी जो विगत वर्ष से लगभग चार गुनी अधिक है। रबी सीजन में गेंहू खरीदने के लिये 6088 क्रय केन्द्र खोले गये है जिनसे 20 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विपरीत अब तक कुल लगभग 13 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। विगत वर्ष इसी अवधि में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी थी। इस साल किसानों के हक में एक खास नीतिगत परिवर्तन यह हुआ कि खरीददारी की इस प्रक्रिया से बिचौलियों को अलग रखा गया।

वर्ष 1949 से फसलों की औसत उपज को जानने के लिए फसल कटान प्रयोगों पर 7 रुपये प्रति प्रयोग शासन द्वारा खर्च किया जाता रहा है। इसमें से कुल 2 रुपये ही किसानों को मिलते थे। इस वर्ष से यह धनराशि भी 21 रुपये कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप अब प्रति प्रयोग 8 रुपये किसानों को मिलेंगे।

पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों की बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि रक्षा, कीटनाशक एवं मुख्यतः कृषि विपणन की समस्याओं के एक ही स्थान पर निदान हेतु पर्वतीय क्षेत्र की 15 विनियमित मंडियों में 15 कृषि पालीक्लीनिक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

सहकारिता

उत्तर प्रदेश के नियोजित विकास में सहकारिता आन्दोलन की भूमिका अद्वितीय रही है। वर्ष 1989-90 में 409 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण एवं 24 करोड़ रुपये मध्यम कालीन ऋण वितरित किया गया। वर्ष 1990-91 में इसे बढाकर क्रमशः 500 करोड़ रुपये एवं 60 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋण में 133 करोड़ रुपये के पिछले वर्ष की उपलब्धियों के विरुद्ध वर्ष 1990-91 में 140 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बढ़ते हुए कृषि निवेशों की आवश्यकता की ध्यान में रखते हुये साधारण एवं नगदी फसलों के वित्तमान में बढ़ोत्तरी कर क्रमशः 1200 रुपये एवं 1500 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार अधिकतम ऋण सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गयी है।

प्रदेश के जो लाखों किसान बकायेदार होने के कारण ऋण प्राप्त करने योग्य नहीं रह गये थे, आशा की जाती है कि नये ऋण राहत योजना से इनमें से अधिकांश किसान पुनः ऋण लेने में सक्षम होंगे।

कृषि निवेश आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समितियों के स्तर पर संचालित "सिंगिल-विन्डो-सिस्टम" का विस्तार कर किसानों को एक ही स्थान से कृषि ऋण, उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन एवं उपकरण, कृषि परामर्श सेवाओं के साथ-साथ

उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों में आशातीत प्रगति हुई है। वर्ष 1989-90 में प्रथम बार 6.56 लाख मैट्रिक टन उर्वरक तथा 3.78 लाख कुन्तल बीज वितरित किया गया जिसे आगामी वर्ष 1990-91 में बढ़ाकर क्रमशः 9.00 लाख मैट्रिक टन एवं 4.39 लाख कुन्तल निर्धारित किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से 10,340 उचित मूल्य की दुकानों को संचालित करा कर लेवी चीनी, मिट्टी का तेल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं जैसे- खाद्यान्न, कपड़ा, साबुन, चाय, माचिस, स्टेशनरी, बल्ब आदि का वितरण कराया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में उपभोक्ता वस्तुओं का लक्ष्य 710 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

ग्राम्य विकास

राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव घोषणा-पत्र में किये गये संकल्प के अनुसार ग्रामीण आबादी को उत्पादक एवं लाभकारी रोजगार मुहैया कराने के लिये हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके और पूरी दृढ़ता से कार्य कर रही है। वर्ष 1990-91 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 147.28 करोड़ रुपये के संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है जिसमें राज्य बजट का अंश 83.85 करोड़ रुपये होगा। प्रदेश सरकार का यह प्रयास होगा कि एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार इतनी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें कि वे सदा-सर्वदा के लिये गरीबी के दल-दल से उबर सकें। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं की औसत लागत 6,568 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ-साथ लागत में औसत अनुदान का अंश लगभग 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जायेगा।

अनुसूचित जाति के लक्षित परिवारों में उद्यमिता के विकास हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसलिये उनको देय अनुदान का अनुपात 25 प्रतिशत/33 1/3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत एवं अनुदान सीमा 3,000 रुपये से बढ़ा कर 5,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

अपने संकल्प के अनुसार हम इस वर्ष से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के परिवारों का आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर रहे है। महिलाओं के आच्छादन का लक्ष्य भी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के समवर्ती ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम (डी० डब्लू० सी० आर० ए०) का विस्तार किया जायेगा और इसमें शामिल किये जाने वाले जनपदों की संख्या 21 से बढ़ाकर 26 कर दी जायेगी। पिछड़ेपन के मापदण्डों के आधार पर इस हेतु अल्मोड़ा, फैजाबाद, जौनपुर, वाराणसी तथा मिर्जापुर जनपदों का चयन किया गया है।

जवाहर योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश का परिव्यय 510.93 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस परिव्यय में राज्य सरकार का अंश 20 प्रतिशत होगा। कार्यक्रम के

अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1703.79 लाख मानव दिवस के समतुल्य रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 2 लाख आवास बनाये जायेंगे। "'अम्बेदकर ग्राम विकास योजना" तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में मैं पूर्व ही उल्लेख कर चुका हूं।

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र के लिये वर्ष 1990-91 में 966.75 करोड़ रुपये (पर्वतीय क्षेत्र की सम्मिलित करते हुए) प्लान परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र के मुख्य उद्देश्यों में विद्युत् उत्पादन बढ़ाना, विद्युत् परिषद् की वित्तीय स्थिति में सुधार करना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति करना है।

पिछले वर्षों में जिस प्रकार विद्युत् परिषद् के कार्य-कलापों का संचालन हुआ उससे परिषद् के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के कार्य में ह्रास हुआ। स्थिति यह है कि परिषद् के औसत मासिक राजस्व 94 करोड़ रुपये के विरुद्ध उसका औसत मासिक व्यय लगभग 145 करोड़ रुपये है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50—51 करोड़ रुपये मासिक का घाटा है। इस बढ़ते हुये घाटे के कारण विद्युत् परिषद् कोयले की खरीद, रेल भाड़ा और बिजली के आयात के लिये भुगतान नहीं कर पा रहा है। 31 मार्च, 1990 की कोल इण्डिया, रेलवे तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की विद्युत् परिषद् द्वारा लगभग 836 करोड़ रुपये देय थे। यह देय निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार विद्युत् परिषद् की अपनी देयों की वसूली की स्थिति भी अत्यन्त असंतोषजनक रही है। 1989-90 में लगभग 1136 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई जबकि यह वसूली 1800 करोड़ रुपये हो सकती थी।

वर्तमान शासन द्वारा उठाये गये कदमों के फलस्वरूप विद्युत् परिषद् की राजस्व वसूली जनवरी, 1990 में 96 करोड़ रुपये से बढ़कर फरवरी तथा मार्च में क्रमशः 111 करोड़ तथा 145 करोड़ रुपये हो गई।

विद्युत् परिषद् द्वारा विभिन्न स्तर के अभियन्ताओं द्वारा किये जाने वाले मासिक निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित कर दी गई है ताकि विद्युत् चोरी के मामले प्रकाश में आ सकें। प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता डिवीजन में 50 सबसे बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई ताकि उनसे नियमानुसार वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके। इन कदमों के फलस्वरूप राजस्व वसूली की स्थिति में कुछ सुधार आया है।

वर्षों से कई अधिकारी एक ही स्थान अथवा पद पर बने हुये थे जिसके कारण खराब कार्य और भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती रहती थीं। इस वर्ष विद्युत् परिषद् ने "स्थानान्तरण नीति" बनायी तथा ऐसे बहुत से अधिकारियों को जो निर्धारित अवधि से अधिक एक ही स्थान अथवा पद पर नियुक्त थे अथवा जो अपने कर्तव्यों के पालन में वांछित रूचि नहीं ले रहे थे, का स्थानान्तरण कर दिया है। परिषद् की सेवा में उच्चकोटि की दक्षता, कार्यकुशलता तथा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिये 50

वर्ष से अधिक की आयु के अधिकारियों की स्क्रीनिंग का कार्य प्रगति पर है तथा अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता स्तर के कुछ अधिकारियों को स्क्रीनिंग के फलस्वरूप सेवानिवृत्त भी किया जा चुका है। विद्युत् परिषद् के इतिहास में इस प्रकार की कार्यवाही पहली बार की गई है।

पिछले महीनों में यह भी प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे पावर फाइनेन्स कारपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से विद्युत् परिषद् को यथासम्भव वित्तीय सहायता मिले और इस कार्य में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है।

कार्यकुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये विद्युत् परिषद् में संरचनात्मक परिवर्तन तथा पुनर्गठन की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने श्री एन० एस० बसन्त, अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत् परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। इसकी रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है।

जबसे इस शासन ने कार्यभार सम्भाला है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में काफी परिवर्तन हुआ है और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 12 से 14 घंटे बिजली प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है। अक्टूबर तथा नवम्बर, 1989 में प्लान्ट लोड फैक्टर क्रमशः 36.5 प्रतिशत तथा 46.8 प्रतिशत था। जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1990 में यह बढ़कर क्रमशः 54.1 प्रतिशत, 59.7 प्रतिशत तथा 56.9 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के अन्त में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार तथा एस० टी० मेन्स द्वारा क्रमशः 80,358 तथा 47,244 ग्राम विद्युतीकृत हुए थे, जो प्रदेश की ग्रामों की कुल संख्या का क्रमशः 71.4 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत है। वर्ष 1989-90 में विभिन्न कारणों से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति काफी कम रही। वर्ष 1990-91 में इस कार्यक्रम में तेजी लायी जायगी।

सिंचाई

खेती की उपज बढ़ाने और गांवों की खुशहाली के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार एक मूलभूत आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि एक ओर तो नहरों एवं नलकूपों के माध्यम से सिंचन क्षमता का अनुकूलतम उपयोग किया जाय और दूसरी ओर निर्माणाधीन और नयी योजनाओं का कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाय जिससे उनका अधिकतम लाभ कम से कम समय में प्राप्त हो सके। इसी नीति के तहत हमारी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद किसानों के हित में नलकूपों के परिचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जिससे जीर्णशीर्ण संयंत्रों को बदल कर नलकूपों की सुचारु रूप से चलाया गया। इस कार्यवाही से नलकूपों की बन्दी 14 प्रतिशत से घट कर 8.5 प्रतिशत रह गयी। चालू वर्ष में जीर्णशीर्ण उपकरणों को बदलने हेतु 5 करोड़ रुपये, असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये तथा प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में निर्मित नलकूपों की जीर्णशीर्ण वितरण प्रणाली की पी० वी० सी० पाइप लाइन द्वारा प्रतिस्थापना के

लिये 4 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। जीर्णशीर्ण लघु लिफ्ट नहरों के आधुनिकीकरण हेतु एक करोड़ रुपये का आवंटन प्रथम चरण में किया गया है।

मान्यवर, इस साल हमने पहली बार खरीफ फसल में धान, मक्का, अरहर तथा सोयाबीन की सिंचाई के लिये 10 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश की सभी नहर प्रणालियों तथा राजकीय नलकूपों से निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था शुरु की है। हमें आशा है कि इस व्यवस्था से धान, मक्का, अरहर तथा सोयाबीन के क्षेत्र में वृद्धि होगी जिससे खाद्यान्न तथा दलहनों के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी।

सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंत में 69,000 कि० मी० नहरों तथा 26,926 राजकीय नलकूपों से कुल मिलाकर 106.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता हो गयी है।

वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 304.05 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय से लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। इस हेतु ली जा रही प्रमुख परियोजनाओं में पूर्वी यमुना नहर, मेजा बांध की ऊँचा करना, भीमगोडा हेडवर्क्स का पुनरुद्धार, निर्माणाधीन परियोजनाओं के भौतिक कार्यों को पूर्ण करने पर विशेष बल देते हुए अपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण, सरयू नहर परियोजना, राजघाट बांध तथा राजघाट परियोजना, लखवाड़-व्यासी बांध, शारदा सहायक, मध्य गंगा (प्रथम चरण), पूर्वी गंगा नहर परियोजना, मौदहा बांध, चम्बल लिफ्ट सिंचाई, जमनिया पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि को आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके।

राजकीय लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 148.27 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है। इसमें से नलकूपों के निर्माण हेतु 101.80 करोड़ रुपये का परिव्यय है जिसमें से 1.80 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र के लिए है, मैदानी क्षेत्र के 600 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 15 नलकूपों का ऊर्जीकरण कर 0.615 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन का लक्ष्य है। मैदानी क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये परिव्यय से 250 नलकूपों का ऊर्जीकरण, अवशेष वितरण प्रणाली पूर्ण करने का कार्यक्रम है। 10 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना तथा 40 करोड़ रुपये इंडो-डच परियोजना के परिव्यय से 350 नलकूपों की बोरिंग, 300 नलकूपों का ऊर्जीकरण, 50 नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा 75 नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना तृतीय चरण, जो विश्वबैंक की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है, स्वीकृत होने पर 3000 नलकूपों का क्लस्टरों में निर्माण किया जायगा।

लिफ्ट नहर व बन्धियों के निर्माण हेतु 1.82 करोड़ रुपये तथा पर्वतीय नहरों के निर्माण हेतु 8.2 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय से 0.09 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्तता जोड़ते हुए इस वर्ष कुल 0.705 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य है। पूर्व वर्णित "भूमिसेना" कार्यक्रम में भी तालाबों, झीलों, बंधियों आदि की खुदाई प्राथमिकता के आधार पर करके प्राकृतिक जलसंसाधनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जायगा।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में 15 करोड़ रुपये मैदानी तथा 1.50 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र हेतु परिव्यय निर्धारित हुआ है जिससे 20 कि०मी० सीमान्त बांधों का निर्माण एवं 40 कि०मी०

जलोत्सारण नालों का निर्माण करके 0.20 लाख हेक्टेयरअतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।

आवास एवं नगर विकास

स्वच्छ पेयजल हमारे जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है, लेकिन यह अत्यन्त खेदजनक वास्तविकता है कि प्रदेश के अनेक अंचलों में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। जैसा कि हमने वायदा किया था आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रदेश के सभी ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों को प्राथमिकता दी जायेगी। वर्ष 1990-91 में 7,290 हरिजन बस्तियों एवं 10 जनजाति ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सर्वसुलभ कराने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 93.68 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा पोषित त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 42.68 करोड़ रुपये का प्राविधान शामिल है। इसमें प्रदेश के 7604 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त समस्याग्रस्त ग्रामों जहां 1 या 2 हैण्ड पम्प लगाये गये थे, वहां हैण्ड पम्पों की संख्या में विस्तार करके यह प्रयास किया जायेगा कि 250 व्यक्तियों पर 1 हैण्ड पम्प, विशेष रूप से समस्याग्रस्त ग्रामों में उपलब्ध हो जाये।

आगरा तथा कानपुर महानगरों को पेयजल की समस्या के स्थायी निदान हेतु यमुना व गंगा नदी पर बैराज बनाने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु वर्ष 1990-91 में क्रमशः 4 करोड़ रुपये एवं 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। साथ ही मथुरा में गोकुल बैराज के लिये 2.50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। प्रदेश के 5 नये नगरों में पेयजल को सुविधा और 48 अन्य नगरों को वर्तमान जल सम्पूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये वर्ष 1990-91 के बजट में 18 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

हमने यह निर्णय भी लिया है कि स्वच्छकारों को सिर पर मैला उठाने के कार्य से मुक्ति दिलायी जाये। इस हेतु टाउन एरिया और नगरपालिकाओं में दो पहिया, चार पहिया वाली गाड़ी चलाने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 में नगरों में 40,000 घरेलू शुष्क शौचालयों को सस्ते जलप्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जायेगा तथा 100 सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा।

कानपुर नगर के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न टैनरियों के लिये संयुक्त एफ्लुएंट उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिये 1.22 करोड़ रुपये का वर्ष 1990-91 में प्राविधान किया गया है।

आवासीय समस्या के निदान हेतु वर्ष 1990-91 के लिये नगरों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु 18,000 तथा अल्प आय वर्ग हेतु 7,500 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसी के

साथ-साथ आवास की समस्या के निदान हेतु अन्य स्रोतों से धन इकट्ठा करके प्रदेश के विभिन्न नगरों में दुर्बल आय-वर्ग हेतु 43,600 एवं अल्प आय-वर्ग हेतु 16,900 का लक्ष्य रखा गया है।

सड़कें एवं परिवहन

वर्ष 1990-91 के अन्त तक सभी गांवों जिनकी आबादी 1500 या उससे अधिक है, को मुख्य जिला सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।

1000 से 1499 की जनसंख्या वाले लगभग 60 प्रतिशत गांव जिला मुख्य सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस श्रेणी के लगभग 500 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।

गाजियाबाद, देहरादून, लखनऊ, इटावा, सहारनपुर, नैनीताल, पौड़ी बाराबंकी आदि नगरों में नगरीय एवं महत्वपूर्ण मार्गों का सुधार/सुदृढ़ीकरण वर्ष 1990-91 में किया जायेगा।

दस्यु समस्याग्रस्त जनपदों में से आगरा, इटावा, झाँसी, बांदा, जालौन, मैनपुरी, फर्रुखाबाद एवं बदायूँ में नयी सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 में 15 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

वर्ष 1990-91 में राज्य परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु 1,190 बसें क्रय करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष 680 पुरानी बसों के रिनोवेशन हेतु 9.16 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। संचालन स्तर की सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 7 नये डिपो खोले जाने का प्रस्ताव है और नवीन यंत्र/संयंत्र के क्रय हेतु 3 करोड़ रुपये व भूमि भवन पर 14.51 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। प्रदेश के महानगरों में यातायात की भीड़भाड़ से उत्पन्न कठिनाइयों के समाधान व निदान के लिये ट्रैफिक प्लान बनाने की योजना है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

पेराई सत्र 1989-90 में गन्ना उत्पादन 932.09 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 990 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। चीनी का उत्पादन भी 23.01 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 29.00 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक होने की संभावना है।

हमने पिछले आम चुनाव, 1989 में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने का आश्वासन दिया था। इसी आश्वासन की पूरा करते हुये सरकार द्वारा 1989-90 के पेराई सत्र के लिये गन्ना मूल्य मिल गेट पर 38 रुपये प्रति कुन्टल सामान्य जाति के गन्ना के लिये तथा 41 रुपये प्रति कुन्टल की० शा० 687 तथा सी० ओ० जे० 64 के लिये निर्धारित किया गया है। मिल गेट से भिन्न स्थानों से गन्ना आपूर्ति के लिये यह दरें एक रुपया प्रति कुन्टल कम रखी गयी है। गन्ना मूल्य की वर्तमान दरें विगत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 8 रुपये तथा 7 रुपये प्रति कुन्टल अधिक है। मुझे यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि विगत वर्ष के गन्ना मूल्य का लगभग शत-प्रतिशत भुगतान हो गया है और हम ऐसी व्यवस्था कर रहे है कि इस सत्र के देय गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों को तुरन्त हो

जाय । मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि गन्ना मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप लगभग 27 लाख किसान परिवारों को लगभग साढ़े ग्यारह अरब रुपये अतिरिक्त मिलेंगे ।

राज्य के चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है । इस समय देश में कुल 123 चीनी मिलों के विस्तारीकरण पर कार्यवाही चल रही है । उनमें से 67 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं । इन चीनी मिलों में से 47 चीनी मिलें राज्य/सहकारी क्षेत्र में हैं । राज्य चीनी निगम की 16 जर्जर चीनी मिलों के स्थान पर नयी आधुनिक 2,500 टन प्रति दिन पेराई क्षमता की मिलें लगायी जा रही हैं । सहकारी क्षेत्र में भी 17 चीनी मिलों का विस्तारीकरण कर दुगुनी क्षमता का कार्य हाथ में लिया गया है । इनमें से 11 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार गन्ना पेराई सत्र 1990-91 के पहले ही पूरा हो जायेगा । वर्ष 1990-91 में सहकारी तथा राज्य सेक्टर में क्रमशः 7,440 तथा 5,869 टन, कुल 13,309 टन प्रति दिन गन्ना पेराई क्षमता सृजित किये जाने का लक्ष्य है ।

पशुधन

नागरिकों को पौष्टिक खुराक उपलब्ध कराने और खेती-किसानी में लगे लोगों को आय का अतिरिक्त स्रोत जुटाने में पशुधन का विशेष योगदान है । इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जायेगा ।

वर्ष 1990-91 में 62 पशु चिकित्सालयों पर उन्नत नस्ल के बकरे, सांड की व्यवस्था किये जाने तथा 60 अतिरिक्त पशु चिकित्सालयों पर शूकर प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है । अंडो एवं कुक्कुट मांस की बढ़ती हुयी मांग की पूरा करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुक्कुट विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने के लिए निजी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों की प्रोत्साहित किया जायेगा ।

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों की उनकी वर्णशंकर बछियों के भरण-पोषण एवं भेड़, कुक्कुट एवं शूकर इकाइयों के लिये अनुदान की सुविधा तथा बैंकों से ऋण आदि की व्यवस्था की जाती है । वर्ष 1990-91 में इस योजना के अन्तर्गत 10,300 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 हेक्टेयर भूमि प्रमाणित चारा बीज द्वारा आच्छादित करने हेतु 5,000 कुन्टल प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है ।

वन एवं पर्यावरण

वर्तमान वर्ष में उजड़े वन क्षेत्रों के नवीनीकरण हेतु वृक्षारोपण का एक वृहत् कार्यक्रम चलाया जायेगा । वन विभाग द्वारा 52,856 हेक्टेयर क्षेत्र में 9 करोड़ पौध लगायी जायेगी । इसमें से 20 प्रतिशत पौध फलदार वृक्षों की होगी । कृषि वानिकी के अन्तर्गत 31 करोड़ पौध वितरित की जायेगी ।

वनीकरण हेतु पौध उगाने के लिये 972 स्कूल नर्सरी व 961 किसान नर्सरी को प्रोत्साहित किया गया है। वर्तमान वर्ष में अभी तक पांच नये जल विहार घोषित किये जा चुके हैं। वर्तमान वर्ष में ही और पक्षी विहार घोषित किये जाने का प्रस्ताव रहेगा। आरक्षित वन से अवैध कटान को रोकथाम हेतु एक वन सुरक्षा बल के गठन का प्रस्ताव है। वन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के लिये और कठोर दंड का प्राविधान करने के उद्देश्य से वन अधिनियम में संशोधन भी प्रस्तावित है।

जल एवं वायु प्रदूषण को कम करने एवं जनमानस के लिए स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। युवावर्ग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिये जाने हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में "इको रेस्टोरेशन" निर्माण क्लबों को स्थापना को जा रही है। प्रदेश के लुप्तप्राय वनस्पति एवं प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एक समुचित संरक्षण नीति तैयार किया जाना भी प्रस्तावित है।

उद्योग

पिछली पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के औद्योगिक विकास को दर 12.5 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य पन्द्रह प्रतिशत रखा गया है।

आम जनता के उपभोग के लिये आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये हम प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रतिबद्धता के अंग के रूप में प्रदेश के तीव्र एवं संतुलित औद्योगिक विकास के लिये सरकार द्वारा नयी औद्योगिक नीति दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को घोषित को गयी है। इसके मुख्य उद्देश्य प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक योगदान की बढ़ाना, रोजगार मूलक लघु एव ग्रामीण उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देना व क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करना, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं व भूतपूर्व सैनिकों को विशेष सुविधायें देकर उन्हें उद्योग लगाने के लिये आकर्षित करना, स्थापित क्षमता का भरपूर उपयोग सुनिश्चित कर उत्पादकता बढ़ाना, रुग्ण व रुग्णोन्मुख इकाइयों को समुचित सहायता देकर पुनर्वासित करना व परम्परागत ग्रामीण व लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण करना है। इस नीति के अन्तर्गत कृषि व ग्रामीण शिल्पियों के शिल्पों तथा स्थानीय तकनीकी पर आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योगों, इलेक्ट्रानिक्स, ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित उद्योगों के विकास को वरीयता दी जायेगी। सामान्य उपयोग की जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा किया जा सकता है, उनके उत्पादन हेतु बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जायगा। इस औद्योगिक नीति से जहां एक ओर आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति होगी, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक विकास को वांछित दिशा एवं गति प्राप्त होगी।

प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक विकास को ग्रामोन्मुख करने के उद्देश्य से विकास खण्ड को केन्द्र बिन्दु माना गया है। प्रत्येक विकास खंड में आठवीं योजना के अन्त तक आवश्यकतानुसार, यथा-समय एक मिनी औद्योगिक आस्थान विकसित किया जायेगा।

दिनक 1-4-90 से पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य पूँजी उपादान योजना लागू की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े जनपदों में स्थापित होने वाली नयी औद्योगिक इकाइयों को उनके अचल पूँजी विनियोजन पर निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार दस प्रतिशत से बीस प्रतिशत उपादान उपलब्ध कराया जायेगा ।

पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित औद्योगीकरण के उद्देश्य से ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में राज्य पूँजी उपादान दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

"शून्य जनपद विकास केन्द्र" योजना के अन्तर्गत प्रदेश में "शून्य उद्योग" जनपदों में प्रत्येक पर लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ।

1.50 लाख से अधिक खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों से लगभग 3.90 लाख लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है । इस वर्ष लगभग 74,000 इकाइयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य है, जिनसे लगभग 2.30 लाख लोगों की रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है । इस क्षेत्र में विपणन-व्यवस्था को आधुनिक व सुदृढ़ बनाये जाने के प्रयास होंगे । इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के लिये विपणन एवं प्रसार-केन्द्र की योजना तथा बीमार इकाइयों का सर्वेक्षण, कच्चा माल, विपणन व औद्योगिक सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे ।

हथकरघा उद्योग से प्रदेश के लगभग 15 लाख बुनकर जीविकोपार्जन कर रहे है । बुनकरों को धागा तथा अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की और प्रभावी बनाया जायेगा । इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण, उत्पादकता वृद्धि एवं उत्पादों की विविधता पर बल दिया जायेगा । व्यावसायिक बैंकों तथा राजकीय स्रोतों से बुनकरों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, कार्यशील पूंजी व आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की समुचित व्यवस्था की गयी है । इस क्षेत्र में विपणन सहायता के अन्तर्गत हथकरघा निगम तथा यूपिका द्वारा बिक्री केन्द्र चलाये जा रहे है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित विपणन विकास सहायता योजना भी कार्यान्वित की जा रही है । बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आवासयुक्त कार्यशाला योजना, थ्रिफ्ट फण्ड योजना, बुनकर बहबूदी फण्ड तथा सामूहिक बीमा योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । विभिन्न प्रकार को सुविधाओं एवं सहायताओं के उपलब्ध कराये जाने के परिणामस्वरूप हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है । वर्ष 1989-90 में कुल वस्त्र उत्पादन 660.88 मिलियन मीटर हुआ तथा 1990-91 में 719 मिलियन मीटर वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हमारी नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाये उपलब्ध करायी जायेंगी । विक्रीकर से छूट/आस्थगन की नयी योजना के अन्तर्गत छूट को स्थायी पूंजी नियोजन से सम्बद्ध किया गया है और इसके अन्तर्गत कुल स्थायी पूंजी विनियोजन के सौ प्रतिशत से डेढ़ सौ प्रतिशत तक बिक्रीकर में छूट, जिले के पिछड़ेपन के आधार पर दी जायेगी । इस छूट की अवधि आठ से दस वर्ष तक होगी । यह सुविधा अब प्रसार विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण पर भी उपलब्ध है । यह प्रोत्साहन योजना अगले पांच सालों तक जारी रहेगी । इसके अलावा विद्युत् आपूर्ति में विशेष सुविधायें, शत-प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों को विशेष राज्य पूंजी उपादान इत्यादि

भी उल्लेखनीय है । हमने मार्जिन-मनी ऋण योजना सुविधाओं की चालू रखने का निर्णय लिया है । अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, प्रवासी भारतीयों व अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों की उद्योग लगाने के लिये विशेष सुविधायें दी जायेंगी ।

सातवीं योजना के अन्त तक भारी एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 939 और उनमें पूंजी विनियोजन लगभग 7,843 करोड़ रुपये हो चुका था । आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन प्रस्तावित है । इस योजनावधि में 500 भारी एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है ।

देश की जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, परन्तु केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योगों में हुए पूंजी विनियोजन का मात्र 5.4 प्रतिशत पूंजी विनियोजन इस प्रदेश में हुआ है । माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह स्थिति अत्यन्त विसंगतिपूर्ण एवं हमारे लिये कष्टप्रद है । हम इसके निराकरण के लिये प्रयासरत हैं और भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध कर रहे हैं कि वे प्रदेश में नयी औद्योगिक परियोजनायें लगायें और लम्बित आशय पत्रों को शीघ्र स्वीकृति दें । हमने प्रदेश के माननीय सांसदों से भी इस दिशा में पहल करने का अनुरोध किया है ।

भाषा नीति

वर्तमान सरकार ने सरकारी कामकाज हिन्दी में करने का कठोर आदेश किया और दूसरे दिन से दफ्तरों में अंग्रेजी की जगह हिन्दी में काम शुरू हो गया । कई अन्य राज्य सरकारों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए अपने यहां हिन्दी लागू कर दिया । मंत्रिमण्डल ने प्रादेशिक सिविल सेवा की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दिया । नौजवानों और आम जनता में इन दोनों फैसलों का व्यापक स्वागत किया गया क्योंकि सरकार और जनता के बीच उसकी भाषा में संवाद शुरू हो गया । लेकिन कुछ लोगों को बड़ा नागवार गुजरा है । ये वहीं लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का हिन्दी में शपथ लेना भी बुरा लगा था ।

हिन्दी में काम करने का आदेश पहले भी था । यह नया नहीं है । लेकिन इस सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ लागू करने का फैसला किया । पिछली सरकारों ने इसे लागू क्यों नहीं किया, इस विवाद में पड़े बिना मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ । इस सरकार की साफ राय है कि हर प्रदेश में उस प्रदेश की भाषा पूरी तरह चलनी चाहिए । अपनी अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा, नौकरी या न्याय पाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए । इस प्रदेश के औसत आदमी की भी यही अधिकार देने की कोशिश की गई है ।

निहित स्वार्थी तत्वों ने जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, मेरे विरुद्ध योजनापूर्वक यह साजिश फैलाई है कि मैं हिन्दी साम्राज्यवाद पूरे देश पर थोपना चाहता हूं । यही आरोप डाक्टर राम मनोहर लोहिया के विरुद्ध भी लगाया गया था । अंग्रेजों ने जिस तरह अंग्रेजी थोपी थी, उसी तरह इस देश में दो प्रतिशत अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो पचास प्रतिशत सरकारी नौकरियों पर कब्जा किये है, हिन्दी थोपे जाने का मिथ्या प्रचार कर रहे है ।

मुझे प्रसन्नता है कि अंग्रेजी के ऐसे विद्वानों ने जो भारतीय भाषाओं के समर्थक है, इस सरकार के काम का खुलकर समर्थन शुरू कर दिया है। अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में लेख भी छपने लगे है। मुझे विश्वास है कि यह साजिश समाप्त होगी। राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों से उनकी भाषाओं में पत्र-व्यवहार का निर्णय लिया है। इसकी तैयारी भी हो रही है, साथ ही राज्य के आठ जिलों में कुछ चुने गए विद्यालयों में दूसरी भारतीय भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रारम्भ में कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलगू, बंगला, उड़िया, गुजराती और मराठी सिखाई जायेगी। इन भाषाओं को सिखाने वाले शिक्षकों की व्यवस्था भी हो रही है और सीखने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। मेरी दृष्टि में यह एक सार्थक और भावात्मक राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में ठोस प्रयास होगा।

इसी तरह हम राज्य सरकार की उर्दू नीति को भी सच्चे दिल से लागू करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी आदि विदेशी भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था जारी रहेगी।

शिक्षा

शिक्षा के बहुआयामी विकास एवं विस्तार के लिये हम अपने चुनाव घोषणा-पत्र तथा 21 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जनता के प्रति वचनबद्ध है। हमारी सरकार की नीति है कि गरीब के बेटे को भी उसी स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो जो एक अमीर के बच्चे को मिलती है। प्रारम्भ से ही हम समाज में दो वर्ग के नागरिक नहीं बनाना चाहते है। इसलिये हमने दुहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता बताई थी। इसे साकार रूप देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कार्यशाला संगोष्ठी आयोजित की गई है जिससे एक आम राय बन सके और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू होवे जो स्वस्थ, प्रबुद्ध और आत्मनिर्भर भावी पीढ़ी का निमार्ण करें।

जैसा कि पहले उल्लेख कर चुका हूँ, प्रदेश के समस्त प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निमार्ण वित्तीय वर्ष 1990-91 में पूर्ण करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 में 300 अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों की अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 200 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने का भी प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा पिछले चार वर्षों से उपलब्ध नहीं थी।

इस वर्ष 100 ऐसे विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाईस्कूल खोलने का प्रस्ताव है जहाँ बालिकाओं की शिक्षा के लिये राजकीय अथवा अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, कक्षा बारह तक पढ़ने वाले बालकों की शिक्षा भी बालिकाओं की भांति निःशुल्क कर दी गयी है।

अगले शिक्षा सत्र से छात्र परीक्षार्थियों को उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षायें अपने ही विद्यालयों में देने की सुविधा दी जायेगी। उन्हें आज की

भांति परीक्षा के लिए दूसरे विद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा । परीक्षा देने वाले विद्यार्थियं और उनके अभिभावकों की कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही पेंशन, ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश में सहायता प्राप्त दूसरे शिक्षण संस्थाओं में सुलभ है ।

सरकार ने सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान नगर प्रतिकर भत्ते की सुविधा देने का निर्णय लिया है ।

- प्रौढ़ों को साक्षर बनाने की दृष्टि से 13 नई प्रोढ़ शिक्षा परियोजनाओं के लिये आवर्-व्ययक में 1.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय के अनुसार वर्ष 1990 की "अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है । प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित कराने के लिये कार्यक्रमों का पंचांग तैयार किया गया है ।

मैदानी क्षेत्रों में 30 राजकीय महाविद्यालयों में से 11 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन है । इनके निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 1990-91 में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य हेतु चालू बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

प्राविधिक शिक्षा

आठवीं योजना काल में 200 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी विश्वबैंक परियोजना के अन्तर्गत पुरानी प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में निर्माण कार्य पूरा कराना, साज-सज्जा, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराना, पालीटेक्निकों हेतु आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करना एवं मुख्यतः महिलाओं हेतु नयी संस्थाओं की स्थापना सम्मिलित है । शिक्षकों के गुणात्मक सुधार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन, पालीटेक्निकों की पाठ्यचर्चाओं में सुधार एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना, महिलाओं में प्राविधिक शिक्षा का प्रसार, "मल्टी प्वांइट एन्ट्री सिस्टम" तथा अनुरक्षण व्यवस्था लागू करना भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

खेलकूद एंवं युवा कल्याण

शासन की यह नीति है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक स्टेडियम, एक बहुउद्देशीय हाल एवं एक तरणताल का निर्माण हो जाय जिससे जनपद स्तर पर खेल कूद के लिये मौलिक ढांचा उपलब्ध हो । इस योजना के अन्तर्गत अब तक 39 स्टेडियम, 10 हाल और 3 तरणतालों का निर्माण हो चुका है तथा 16 स्टेडियम, 31 बहुउद्देशीय हाल तथा 15 तरणताल निर्माणाधीन है । इनके अतिरिक्त लखनऊ में सिन्थैटिक ट्रैक तथा वाराणसी और रामपुर में एस्ट्रोटर्फ भी लगाये जा रहे हैं ।

हमारा यह दृढ़ मत है कि ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व का विकास प्रदेश व राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण निवेश है। इसे ध्यान में रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में युवाकल्याण एवं खेलकूद के विकास पर हमने बल दिया है।

ग्रामीण खेलकूद एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु 5.28 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण युवाओं के विकास के लिये 3.13 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। ग्रामीण युवाओं की खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये तथा उनकी प्रतिभा का विकास करने के लिये 50 लाख रुपये का परिव्यय ग्रामीण स्टेडियम, 80 लाख रुपये का परिव्यय चार युवा केन्द्रों का निर्माण तथा 10 लाख रुपये का आय-व्ययक प्राविधान अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए है। इसके अतिरिक्त युवाओं में नेतृत्व की विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्र में एक नयी लहर लाने के लिये महिलाओं के लिये पुरस्कार की योजना बनायी जा रही है जिसके लिये 43 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। 3 लाख रुपये की व्यवस्था राज्य स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगता आयोजित करने के लिये की जा रही है।

मै पहले उन कार्यक्रमों का उल्लेख कर चुका हूं जो समाज के भावी कर्णधार नौजवान वर्ग, विशेषतः छात्रों के कल्याण के लिये बनाये गये हैं। मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि हमारे युवकों और छात्रों के सामने बेरोजगारी की समस्या भयावह रूप में उपस्थित है। इस ओर हमने यह प्रयास किया है कि ग्रामीण अंचलों और छोटे कस्बों में भी रोजगार के अवसरों का विकास किया जाय ताकि नगरों की ओर नौजवान का पलायन थम सके। सभी सरकारी विभाग और उद्यम अपने कार्यक्रम को इस प्रकार चलायेंगे कि स्थानीय श्रम शक्ति की तलाश में लोगों की अपने घर छोड़कर न जाना पड़े। हमारी औद्योगिक नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण अंचलों में व उप नगरों में उद्यमिता का विकास कर स्थानीय संसाधनों, दक्षताओं और मांग पर आधारित छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है। उद्यमिता के विकास के इस सूत्र से हमारे अन्य कार्यक्रम भी बंधे हुए हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेशों और यान्त्रिकी के प्रसार का कार्यक्रम हो या पशुधन के विकास का। इन कार्यक्रमों में शिक्षित बेरोजगारों की नियोजित करने का भरसक प्रयास किया जायगा। ग्रामीण अंचलों की अनुभूत आवश्यकता के आधार पर हैण्ड पम्पों की मरम्मत, वास्तुशिल्प जैसे धंधों का विकास करने के कार्यक्रम भी शुरू किये जायेंगे।

विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप ग्रामीण अंचलों में उत्पादकता की वृद्धि से भी रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। भूमि सेना के माध्यम से गांव के मजदूर और किसानों को संगठित कर ऊसर, बंजर एवं कटान से प्रभावित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की जायगी और इन वर्गों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। पहले से चली आ रही जवाहर रोजगार योजना को भी अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा।

हमारा विश्वास है कि इन सब प्रयासों से बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकेगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे रोजगार के लिये सरकारी तन्त्र पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी आयेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

सन् 2000 तक सबको अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देने वाली "अल्माअता घोषणा" हमारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी नीति का आधार है। यह हमारे चुनाव घोषणा-पत्र का भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु रहा। इसी के अन्तर्गत सरकार प्रदेश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार तथा विकास में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बजट वर्ष 1990-91 में आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इसमें लगभग 74 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार एवं विकास में व्यय की जायेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूर अंचलों तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें।

वर्ष 1990-91 में विभागीय सेवाओं की सुदृढ़ करने के लिये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 523 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भी 13.31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बस्ती में ओपेक फंड की सहायता से 500 शैय्यायुक्त आधुनिक अस्पताल हेतु भवन निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये की प्रासंगिक व्यवस्था की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 4 शैय्यायुक्त, 70 आयुर्वेदिक/यूनानी तथा शहरी क्षेत्रों में 15 शैय्यायुक्त, 33 आयुर्वेदिक /यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना भी प्रस्तावित है। हरिजन बाहुल्य तथा जनजाति क्षेत्रों में होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1990-91 में 30 नये होम्योपैथी चिकित्सालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, महराजगंज एवं मऊ प्रत्येक के मुख्यालय पर 100 शैय्यायुक्त जिला चिकित्सालयों के लिये भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव है। फर्रुखाबाद जनपद मुख्यालय पर डा० राम मनोहर लोहिया की स्मृति में एक आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना भी की जा रही है।

हरिजन एवं समाज कल्याण

माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हेतु इस वर्ष पूर्वदशम् कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों की पिछले वर्षों की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक आच्छादन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना, आश्रम पद्धति विद्यालयों का उच्चीकरण और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के प्राइमरी पाठशालाओं को अधिक संख्या में आवर्तक सूची में लाने का प्रयास किया जायेगा। अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा भूमि क्रय करके अथवा अधिग्रहीत करके, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क भूमि पर और स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देकर, नये छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबी बनाने हेतु अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यक्रमों में वित्त पोषण योजना की सीमा 12,000 रुपये से बढ़ाकर

35,000 रुपये तक कर दी गयी है। 35,000 रुपये से अधिक लागत की योजना में निगम द्वारा 10 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि विनियोजित की जा रही है।

भारत सरकार की सहमति के पश्चात् एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अनुरूप चलायी जाने वाली स्वतः रोजगार योजना के 25 प्रतिशत अथवा 33 1/3 प्रतिशत के अनुदान की बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

निराश्रित विधवाओं एवं विकलागों को भरण-पोषण अनुदान की महत्वपूर्ण योजना के बारे में, मै पहले ही अवगत करा चुका हूँ।

महिला कल्याण

21 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने सभी महिलाओं को पिछड़ा मान कर उनको विशेष अवसर देने का संकल्प लिया था। इसी दृष्टि से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक विकास करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये महिला रोजगार कार्यक्रम की समर्थन योजना कार्यान्वित की जायेगी। इस योजना के लिये वर्ष 1990-91 में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

श्रमजीवी महिलाओं की आवासीय सुविधा दिलाने के उद्देश्य से लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी एवं आगरा में 60-60 महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण कराने का प्रस्ताव है।

सैनिक कल्याण

मुझे यह घोषित करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि सरकार ने वीर चक्र पदक श्रृंखला में परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र के अन्तर्गत देय एकमुश्त पुरस्कार की धनराशि की बढ़ाकर क्रमशः 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये तथा 50,000 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर प्रदेश में निवास करने वाले द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु स्थापित "उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम" के माध्यम से उनके पुनर्वास एवं स्वतः रोजगार के कार्य-क्रम चलाये जायेंगे।

राजस्व प्रशासन

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भू-अभिलेखों के रख-रखाव में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिये दो करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि-सर्वे, मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम एवं प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में भू-प्रबन्ध सुचारु रूप से होगा तथा अभिलेखों के रख-रखाव में सुधार होने के कारण वादों में भी कमी आयेगी।

नवसृजित तहसीलों तथा 100 वर्ष से अधिक पुरानीं तहसीलों के भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 15 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके

अतिरिक्त सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष कार्य को पूरा करने के लिये 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु पर्वतीय विकास विभाग के माध्यम से अगले पांच वर्षों में दस करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इस वर्ष नई मांगों के माध्यम से एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी गयी है।

जनता एवं जन प्रतिनिधियों की मांग पर चकबन्दी योजना का प्रसार प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में भी करने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के अनुसार वर्ष 1990-91 में जनपद अल्मोड़ा एवं गढ़वाल में दो-दो चकबन्दी इकाई क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिये 1600 एकड़ अतिरिक्त सीलिंग भूमि के आवंटन के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च, 1990 तक 4491 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का 281 प्रतिशत है। उक्त भूमि में से 2257 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के 3130 पात्र व्यक्तियों की आवंटित की गयी।

प्रदेश में भूमि के विविध उपयोगों, भूमि से संबंधित प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध में गुणात्मक सुधार लाये जाने के उद्देश्य से एक भूमि प्रबन्ध संस्थान स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आय-व्ययक में दस लाख रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में राहत कार्यों हेतु दैवी आपदा राहत निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु इस आय-व्ययक में 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

दैवी आपदाओं के कारण राहत कार्य हेतु पात्रता और सहायता की दरों की उदार बनाये जाने का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

खाद्य तथा रसद

हमने आम चुनाव के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तारीकरण व सुदृढ़ीकरण का जनता से जो वायदा किया था, उसको पूरा करने के लिये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का पुनरावलोकन कर व्यापक परिवर्तन किये है। व्यवस्था के संचालन का विकेन्द्रीकरण करने के लिये प्रत्येक ब्लाक में "ब्लाक वितरण केन्द्र" खोले गये है, जहां से सभी उचित दर की दुकानों की निश्चित सप्ताह में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल तथा नियंत्रित मूल्य का कपड़ा जारी किया जाना है। निश्चित रोस्टर तथा मूवमेंट प्लान के अनुसार जिले से ब्लाक वितरण केन्द्र और ब्लाक वितरण केन्द्र से उचित दर की दुकान तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचायी जायेंगी। इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा भी की जाती है। कुछ श्रेणी के आवेदकों की संगत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बिना किसी पूर्व जांच के तात्कालिक आधार पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार पुराना राशन कार्ड बदलने, विशेष परमिट जारी करने आदि की व्यवस्था का भी सरलीकरण कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के कोटे से चीनी बचा कर उसे विशेष अवसरों पर परमिट पर बांटने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है क्योंकि उसका कुप्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से

पिछड़े उपभोक्ताओं पर पड़ता था । इस वर्ष पहली बार 10,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी शादी-विवाह एवं विशेष सामाजिक अवसरों पर वितरित करने हेतु दी गयी है । इसी प्रकार विशेष अवसरों पर परमिट पर आयातित खाद्य तेल दिये जाने की व्यवस्था भी लागू की गयी है जिससे गरीब उपभोक्ताओं को वनस्पति का सही विकल्प मिल सके । "अपनी राशन की दुकान स्वयं चुनें" योजना प्रयोग के तौर पर 14 जिला मुख्यालयों पर चलायी जा रही है । उचित दर की दुकानों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तु निगम के 210 जनता स्टोर एवं 53 सचल वाहन भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगाये गये है ।

ईंट के दाम बढ़ाकर मनमानी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये राज्य सरकार ने "उत्तर प्रदेश ईंटा (आपूर्ति का नियंत्रण) अध्यादेश, 1990" प्रख्यापित किया है और तदनुरूप नियंत्रण आदेश लाया गया है ताकि ईंटों की उचित मूल्य पर उपलब्धता बनी रहे । मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारे इस कदम की सराहना करेगा ।

रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट में सुधार कर वे सभी प्राविधान बदल दिये जायेंगे जिनकी आड़ में मकान मालिक किरायेदार का अथवा प्रभावशाली और ताकतवर किरायेदार मकान मालिक का शोषण करते है । किराया निर्धारण प्रक्रिया की भी सरल तथा वैधानिक रूप दिया जायेगा ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त किया जा सके और मकान मालिक तथा किरायेदार आपसी मनमुटाव के माहौल से निकल कर अच्छे सहयोगी के रूप में स्वच्छ संबंध विकसित कर सकें ।

सार्वजनिक उद्यम

सार्वजनिक उद्यमों के सम्बंध में सरकार की नीति स्पष्ट है । आवश्यक तथा जन-कल्याण उत्पादों में सार्वजनिक उद्यम की भूमिका पूर्ववत् महत्वपूर्ण बनी रहेगी । इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां मूल्य नियंत्रण में अपनी भूमिका पूर्ववत् निभाती रहेंगी । सार्वजनिक उद्यम एक निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते है । अनेक सार्वजनिक उपक्रम वित्तीय हानि के कारण निर्बल एवं प्रायः रूग्ण हो गए है जिसके फलस्वरूप जनता से वसूल किये गये संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता । सामाजिक उद्देश्यों की आड़ में उपक्रम प्रबन्ध की उदासीनता, अकुशलता तथा अपव्यय को यह सरकार सहन नहीं करेगी । आप कदाचित अवगत होंगे कि वर्ष 1989-90 में राज्य विद्युत् परिषद् को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में 130 करोड़ रु० की हानि अनुमानित है । अतः उपक्रम प्रबन्ध अपेक्षित स्वायत्तता के साथ ही कार्य लक्ष्यों की पूर्ति तथा संसाधनों की उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाये गये है । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो उपक्रम हानि पर चल रहे है उनमें समुचित सुधार लाने हेतु, उद्देश्यों एवं क्रिया-कलापों के गहन अध्ययन के बाद उनके संविलयन, पुनर्गठन, संयुक्त क्षेत्र में देने अथवा निजीकरण के विकल्प पर भी विचार किया जाय । ऐसी रूग्ण सार्वजनिक इकाइयां जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका है, उन्हें समाप्त करने के विकल्प पर भी विचार किया जायेगा । उद्देश्य यह है कि राज्य के संसाधनों का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए । इसी पृष्ठभूमि में हम यह भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि पुनर्गठन के इस कार्यक्रम से बेरोजगारी इत्यादि की समस्या न बढ़े और सभी को अन्य रोजगारों के अवसरों का विकल्प रहे । राज्य सरकार ने प्रारम्भिक अध्ययन के परिणामस्वरूप

कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबन्धकीय व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निजी उद्यमियों से प्रस्ताव मांगे है। इन पर शीघ्र कार्यवाही के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में एक सचिव स्तर के अधिकारी की जिम्मेदार बनाया गया है जिससे ठोस कार्यवाही निकट भविष्य में सम्भव हो सके।

प्रशासनिक सुधार

सरकारी कार्यालयों की कार्य-क्षमता को चुस्त, दुरुस्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार, निहित स्वार्थ तथा अक्षमता के विरूद्ध कड़ा अभियान शुरू किया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध प्रभावी ढंग से विभागीय कार्यवाहियां की गयीं। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण की है उनकी कार्यकुशलता एवं सत्यनिष्ठा सम्बंधी ख्याति की कड़ाई से समीक्षा करते हुए जनहित में सेवा-निवृत्त किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। यह आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी, 1990 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उनकी समीक्षा प्रत्येक विभाग द्वारा कर ली जाय एवं उनके कार्य–निरन्तरता के बारे में निर्णय लिया जाय। भ्रष्टाचार निवारण अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करके उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् और अन्य सरकारी उपक्रम तथा निगमों के कर्मियों पर मुकदमें चलाने के लिए सम्बंधित प्रशासनिक विभाग की पूर्व स्वीकृति देने के लिए अधिकृत कर दिया है। समस्त विभागों में अब एक अधिकारी सतर्कता कार्यों से सम्बंधित नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। भ्रष्टाचार निवारण में सफलता तभी मिल सकेगी जबकि ऊपर से नीचे तक सभी लोग एक निश्चित आचरण नियमावली के अनुसार कार्य करें। इसी उद्देश्य से अब यह निर्णय लिया जा चुका है कि मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त जांच परिधि में रखा जाय और इस आशय का बिल भी इसी सत्र में पेश किया जायेगा।

कर्मचारियों के मनोबल को ऊँचा रखने के लिए कार्मिक नीति में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है। जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी अवगत कराया था अब सेवा में सामान्य रूप से विस्तार तथा पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति नहीं दी जाती। आप अवगत ही है कि पिछली सरकार ने सरकारी सेवा में विस्तार तथा पुनर्नियुक्ति की अस्वस्थ-परम्परा डाल दी थी जो एक प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया ही कहा जायेगा।

इसी प्रकार समयबद्ध एवं स्पष्ट स्थानान्तरण नीति के भी निर्देश दिये गये है। यह निर्णय है कि सामान्य स्थानान्तरण पूरे वर्ष तक नहीं चलते रहेंगे। अन्यथा अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं हो पाती। इसी नीति के कार्यान्वयन का यह प्रथम वर्ष था, अतः अपवादस्वरूप कुछ विभागों में स्थानान्तरण अवधि में शिथिलता दी गयी है। भविष्य में इसका और कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसी प्रकार इससे यह भी लाभ होगा कि कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने निर्दिष्ट स्थान में जाकर बच्चों की शिक्षा इत्यादि से सम्बन्धित पारिवारिक समस्याओं को अब नहीं झेलना पड़ेगा।

कर्मचारियों के मनोबल को ऊँचा रखने के लिए समयबद्ध ढंग से उनके वार्षिक मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। यह कदापि अनुमति नहीं दी जायगी कि अधिकारी/कर्मचारी अपने अधीनस्थ

कर्मियों को बिना किसी मूल्यांकन के अनियमित ढंग से दबाते रहें । यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी निहित अवधि में मूल्यांकन नहीं करता है तो उससे ज्येष्ठ अधिकारी, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विषय में मूल्यांकन कर लेंगे ।

वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था में जन-भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन लाना अपरिहार्य है । लोगों की तकलीफें और उनके दुःख दर्द समझने तथा कारगर और बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए प्रशासन का उसके साथ पूरी तरह एकात्म होना अनिवार्य है । जिला-तहसीलों के समस्त अधिकारियों में अब नियमित ढंग से 10 बजे आकर एक निश्चित समय तक जनता से मिलना और समस्याएं सुलझाना प्रारम्भ कर दिया है । शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखना, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना और अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा एवं उनको सहायता प्रदान करना जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व होगा । वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की हाल में हुयी बैठक में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गलत नियत या लापरवाही से कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा, साथ ही साथ शासन ईमानदार और कर्त्तव्य परायण अधिकारियों को पूर्ण समर्थन तथा सम्मान देगा ।

प्रशासन में निर्देश दिये गये है कि वे विभिन्न विभागों के जनोपयोगी कार्यों के निष्पादन की समय-सीमा निर्धारित कर दें ताकि शासन और जनता के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकें । राजकीय कार्यालय निरीक्षकों की अब मंडलायुक्तों से सम्बद्ध किया गया है ताकि वे उनके मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यालयों मे उन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दे सकें जिनसे डिलिवरी सिस्टम प्रभावित होता है । जनता की सुविधार्थ विभागीय सचिवों से यह भी आग्रह किया गया है कि अपने विभाग द्वारा आम जनता को उपलब्ध करायी गयी सुविधा के सम्बन्ध में सरल एवं सुबोध भाषा में पुस्तिकाएं/पैम्फ्लेट्स तैयार करें और उनके व्यापक वितरण की समुचित व्यवस्था करा दें ताकि पात्र व्यक्तियों को आसानी से यह ज्ञात हो सके कि उन्हें किन योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है ।

शासकीय कर्मचारियों को सुविधायें

सरकारी सेवकों के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा संचालित "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" को अधिक लाभकारी और उदार बनाया गया है । इस योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान को वर्तमान दरों को 1 मार्च, 1990 से बढ़ाकर डेढ़ गुना करने तथा तदनुसार मासिक अभिदान की धनराशि के एक हजार गुने के बराबर धनराशि का बीमा आच्छादन प्रदान करने का निर्णय लिया है । सभी समूहों के सरकारी कर्मचारियों की बचत निधि पर 12 प्रतिशत की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज भी देय होगा । योजना में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 1 मार्च, 1990 से अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के लिये भी गैर-पुलिस कर्मचारियों की भांति व्यवस्था की गयी है ।

हमारी सरकार एक म्यूचुअल फण्ड की स्थापना पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इसका एक ओर जहां सीधा लाभ राज्य कर्मचारियों को मिलेगा वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के संसाधनों में भी अभिवृद्धि होगी ।

समता समिति की संस्तुतियों का क्रियान्वयन नई सरकार ने कार्यभार लेते ही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया । इसके अतिरिक्त वेतन विसंगति समिति ने जिन विशिष्ट पदों/वेतनक्रमों पर संस्तुतियाँ दी, उन्हें भी स्वीकार कर लिया गया है । शेष प्रत्यावेदनों पर समिति द्वारा शीघ्र संस्तुति दिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

राज्य के संसाधनों की विषम स्थिति के बावजूद हमने राज्य कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भारत सरकार के सादृश्य 1 जनवरी, 1990 से महंगाई भत्ते की एक और किश्त देने का निर्णय लिया है । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 110 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा ।

पेंशनरों को सुविधा

मुझे माननीय सदस्यों को यह अवगत कराते हुये हर्ष है कि 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा-निवृत्त ऐसे सभी राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की, जिनकी पेंशन/परिवारिक पेंशन 375 रुपये प्रतिमास से कम है, 1 अप्रैल, 1990 से पेंशन की धनराशि 375 रुपये करने का हमने फैसला लिया है ।

शान्ति एवं व्यवस्था

इस सरकार को विरासत में जो समस्यायें मिली थीं उनमें से अशांति एवं अव्यवस्था, साम्प्रदायिक तनाव तथा छात्रों, युवकों में बेरोजगारी आदि की कुण्ठा से उत्पन्न असंतोष प्रमुख थी । इनकी अभिव्यक्ति पिछले छः माह में रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद शिलान्यास सम्बन्धी विवाद, छात्र आंदोलन, साम्प्रदायिक दंगे, दस्यु उत्पीड़न घटनाओं के रूप में हुई है ।

इस सरकार की नीति इन सभी मामलों पर स्पष्ट थी । परिणामस्वरूप प्रदेश प्रशासन इसका सामना दृढ़ता एवं दक्षता के साथ करने में सक्षम हो सका । कानून एवं व्यवस्था को स्थिति में गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप लोक सभा एवं विधान सभा के उप चुनावों एवं विधान परिषद् के चुनावों में कोई विशेष घटना नहीं घटी एवं मतदान केन्द्रों पर कब्जा आदि हिंसात्मक प्रवृत्तियों पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा गया ।

वर्ष 1990-91 में हमारी प्राथमिकता पुलिस बल का आधुनिकीकरण, संचार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं यातायात को व्यवस्थित करना है ताकि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त असुरक्षा की स्थिति की दूर करने हेतु प्रभावी व्यवस्था को जा सके ।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प है । दिनांक 11 जून, 1990 को केन्द्र शासन ने पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों पर मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था । इस

सम्मेलन में मुझे राज्य सरकार की नीति स्पष्ट करने का अवसर मिला । राज्य सरकार गांव सभाओं, न्याय पंचायतों, जिला परिषदों, टाउन एरियाओं, नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं की ऐसे आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देना चाहती है, जिससे यह संस्थाएं वांछित कार्यक्रमों को अपनाकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकें । इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस विचारधारा का समर्थन किया कि यदि संविधान में संशोधन आवश्यक पाया जाये तो शीघ्र ही इस पर बिल संसद में पेश हो । मैंने सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के गांव सभा प्रधानों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । राज्य सरकार ने उसी विश्वास के साथ गांव सभा प्रधानों को प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण हेतु संसाधन भी उपलब्ध कराये है ।

समस्त पंचायतीराज एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न हुए हैं । जिला परिषदें भी अब पहले से अधिक सक्रिय हैं । पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि विधान परिषद् में भी निर्वाचित होकर आ गये है । मैंने केन्द्र सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि यदि किसी परिस्थिति में पंचायतीराज की संस्थायें भंग की जायं तो उनमें 6 माह के अन्दर अथवा सम्भव ही तो 3 माह में ही नये चुनाव कराये जायं ।

वास्तविक विकेन्द्रीकरण के लिए संसाधनों का अन्तरण भी आवश्यक है । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला सेक्टर में आवंटित धनराशि कुल योजना परिव्यय का 30 प्रतिशत रखी गयी है । जिला सेक्टर की आवंटित धनराशि का एक बड़ा भाग ऐसे कार्यक्रम पर व्यय होगा, जो स्थानीय निकायों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही । जिला सेक्टर योजना की संरचना एवं क्रियान्वयन दोनों में ही स्थानीय जनता की भागीदारी आवश्यक है । इसी उद्देश्य से गांव सभाओं एवं संस्थाओं के लिए कार्यक्षेत्र भी स्पष्ट किया जायेगा ।

न्याय प्रशासन

प्रदेश में न्याय व्यवस्था को कम खर्चीली बनाने, जन-साधारण को सामयिक न्याय दिलाने तथा न्याय प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे । घरेलू वादों के निस्तारण के लिये कुछ और जिलों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जायेगी । उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की महिलाओं, बच्चों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सहायता तत्परता से उपलब्ध हो सके । अधीनस्थ न्यायालयों में वादों की वृद्धि की देखते हुए, वर्ष 1990-91 में 12 लघु वाद के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जायेगी । जिला जजियों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 12 जिला जजियों का आधुनिकीकरण किये जाने का भी निर्णय लिया गया है ।

मद्य-निषेध

वर्तमान सरकार राष्ट्र की मद्य-निषेध नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रही है । प्रदेश के दो पर्वतीय जनपदों में पूर्ण मद्य-निषेध एवं पाँच में आंशिक मद्य-निषेध तथा प्रदेश के

Administration
Delhi-11001
D...5.9.9.4...
11/12/90

समस्त महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में पूर्ण मद्य-निषेध लागू है। आबकारी दुकानों के संचालन पर कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। अवैध मद्य-निष्कर्षण, अवैध मद्य-व्यापार तथा शराब से सम्बन्धित अन्य अपराधों तथा गांजा, भाँग, चरस, अफीम एवं मार्फीन आदि मादक द्रव्यों की रोक-थाम के लिये प्रभावी कदम उठाये गये है।

नवम् वित्त आयोग

वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि के लिए नवम् वित्त आयोग की संस्तुतियों की केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वित्त आयोग ने करों एवं शुल्कों के अन्तर्गत आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं रेल यात्री किराये पर कर के संवितरण हेतु सभी राज्यों के प्रतिशत अंश निर्धारित किये है। मानकित दृष्टिकोण से राज्यों की प्राप्तियों एवं व्यय का आंकलन करने के पश्चात् उन्होंने हमारे आयोजनेतर घाटे की 14225.14 करोड़ रु० वर्ष 1990-95 के लिए आंका है। और इसकी आंशिक पूर्ति 348.60 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये जाने की संस्तुति की है। शेष घाटे की पूर्ति अर्थात् 13876.54 करोड़ रु० केन्द्रीय करों एवं शुल्क से संवितरण द्वारा राज्य को उपलब्ध होंगे। नवम् वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1990-95 की अवधि में राज्यों के लिए कुल अन्तरण का 16.46 प्रतिशत हमारे राज्य को मिल सकेगा जबकि अष्ठम् वित्त आयोग द्वारा दिये गये कुल अंतरण का प्रतिशत 15.47 ही था। इस प्रकार राज्य सरकार को 1045.30 करोड़ रु० के अतिरिक्त संसाधन 5 वर्ष के लिए उपलब्ध है। साथ ही प्रथम बार आयोजना के अर्न्तगत आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं की आवश्यकताओं के लिये आयोजनागत अनुदान देने की भी सिफारिश की है। नवम् वित्त आयोग ने दैवी आपदा राहत व्यय के वित्त पोषण हेतु वर्तमान नीति एवं प्रबन्धों को पूर्णतः बदलने की संस्तुति के साथ राज्यों के इस व्यय की पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुदान देने की संस्तुति भी की है। प्रत्येक राज्य में एक आपदा राहत निधि का गठन करने का सुझाव दिया गया है और आपदा राहत हेतु नीति निर्धारण एवं प्रबन्ध के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है।

नवम् वित्त आयोग ने विभिन्न प्रशासनों के स्तर के उन्नयन हेतु अनुदान देने की संस्तुति नहीं की है बल्कि "शून्य आधारित बजट प्रणाली" के आधार पर जारी योजनाओं की समीक्षा करके वचनबद्ध व्यय का वर्तमान योजनाओं में व्यवस्थित प्राविधान में समायोजन करने की संस्तुति की है ताकि बढ़ते हुए स्थापना व्यय पर कठोर नियंत्रण रखा जा सके। सिंचाई एवं सड़कों आदि के रख-रखाव की दरों में यथोचित वृद्धि करने की संस्तुति भी आयोग ने की है। राज्य के सीमित संसाधनों के बावजूद भी राज्य सरकार ने रख-रखाव की दरों में यथोचित वृद्धि का निर्णय ले लिया है जो प्रस्तावित बजट में परिलक्षित है।

ऋण राहत योजना के अर्न्तगत नवम् वित्त आयोग ने इस प्रदेश की वर्ष 1990-95 की अवधि में 71.91 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है।

संस्थागत वित्त

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में विकास योजनाओं के लिये संस्थागत वित्त का अधिक से अधिक उपयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 3,150 करोड़ रु० के संस्थागत वित्त संसाधन वित्तीय संस्थाओं/व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से उ० प्र० की विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है। यह वित्तीय संसाधन प्रमुख रूप से कृषि कार्यों, कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों, उद्योगों, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, ऊर्जा, परिवहन, हरिजन एवं समाज कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण तथा ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों के लिये प्राप्त कराये जायेंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा बीमा कम्पनियों के सहयोग से लाइसेन्स शुदा आटो-रिक्शा चालकों के लिये, पंजीकृत हथकरघा बुनकर समितियों के सदस्यों के लिये, लाइसेन्स शुदा रिक्शा/तांगा चालकों तथा होमगार्ड के जवानों के लिये सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनायें भी लागू की गईं। इसी प्रकार की अन्य योजनायें जैसे खादी कत्तिनों, छीपियों, व्यक्तिगत क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों तथा नगरीय दुर्बल वर्गों के लिये भी कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वित्तीय प्रबन्ध

मै आपको पूर्व में ही अवगत करा चुका हूं कि नई सरकार को विषम वित्तीय स्थिति विरासत में मिली थी। वर्ष 1989-90 की शुरुआत 116 करोड़ रुपये की बचत से हुई थी। परन्तु वर्ष के दौरान घाटे की स्थिति हो गयी। इसका मुख्य कारण यह था कि पिछली सरकार ने बेहतर बकाया वसूली, नये व्यवहारिक उपायों इत्यादि की जो वचनवद्धता वर्ष 1989-90 के बजट में की थी उसके अनुसार क्रियान्वयन नहीं हुआ।

वर्ष 1990-91 की प्रदेश की 3,383.05 करोड़ रु० की वार्षिक योजना के पूर्ण वित्त पोषण के लिये सरकार पूर्णतः कृतसंकल्प है। हम बेहतर कर प्रशासन, बेहतर कर वसूली, राष्ट्रीय बचत में वृद्धि, राजकीय व्यय में मितव्ययता, अनुत्पादक व्यय में कटौती तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम के कार्यकलापों में सुधार द्वारा अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करायेंगे। इन सभी बिन्दुओं पर हमने ठोस ढंग से कदम उठाये हैं। आकस्मिक व्यय के प्राविधान में 5 प्रतिशत की कमी करके अनावश्यक पदों की युक्तिसंगत रिक्त रखते हुए तथा प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा 35 करोड़ रु० की बचत अनुमानित है। मितव्ययता का वातावरण भी बनाना आवश्यक है। सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग तथा पेट्रोल उपभोग कम करने के आदेश दिये गये हैं। सरकारी बैठकों, सम्मेलनों, स्वागतार्थ भोजन इत्यादि में भी मितव्ययता के आदेश लागू कर दिये गये हैं। बचत की शुरुआत मैंने अपने कार्यालय से की है। सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 25 लाख की कटौती की गयी है। अन्य व्यय के मदों में भी मैंने 15 प्रतिशत कटौती के आदेश दे दिये है।

विकास की आवश्यकताओं तथा जनता की दिये गये वायदों की पूरा करने के लिये हमें

अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे । कर निर्धारण करते समय करदाता की कर देने की क्षमता का मूल्यांकन आवश्यक है ।

तुलसीदास ने लिखा था :—

"वरषत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोइ,
तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होइ ।"

प्रजा के भाग्य से राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए, सूर्य समुद्र से पानी खींचता है उसे कोई नहीं देखता पर जब वही बादल बनकर बरसता है तो लोग हर्षित होते हैं । यही हमारी कर नीति है । हम समुद्र की तरह जहां धन है कर प्राप्त करें और बादलों की तरह वहां बरसें, जहां आवश्यकता है ।

आप अवगत है कि राज्य सरकार ने मंत्रि-परिषद् की संसाधन के लिये उप समिति बनाई है । इस समिति द्वारा विभिन्न करों/शुल्कों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया गया है । उनकी संस्तुतियों से यह अनुमान है कि लगभग 100 करोड़ रु० अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकेंगे ।

आय-व्ययक अनुमान 1990-91

अब मै वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा । प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 12163.56 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियों की 8011.74 करोड़ रुपये की राशि में 2288.39 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 2220.66 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 2699.66 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 803.03 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है । पूंजी लेखे की 4151.82 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 4013.72 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 138.10 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित है ।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 9688.20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं सम्मिलित करते हुए 2267.04 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिये तथा 7421.16 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए है । पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखों का कुल व्यय 3546.69 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इसमें 1910.76 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 1635.93 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये है। इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 13234.89 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण समेकित निधि के अन्तर्गत 1071.33 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है ।

लोक लेखा के अन्तर्गत 924.29 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों की हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देन के परिणामस्वरूप 147.04 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

इस घाटे को पूरा करने के उपायों की जानकारी मैं माननीय सदस्यों को वित्तीय प्रबन्ध से अवगत कराते समय दे चुका हूँ।

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के समक्ष वित्त मंत्री के रूप में चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमान के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पेश करके मुझे सन्तोष का अनुभव हो रहा है। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का यह वाक्य– "किसी अर्थ नीति या राजनीति की गुणवत्ता का मापदण्ड यह है कि वह अपने पीड़ित, दुर्बल, बेरोजगार मूक नागरिकों का उद्धार कैसे करती है और उन सभी लोगों को जो असहाय और जिन्हें दूसरे दिन की रोटी का सहारा नहीं है कैसे राहत पहुंचाती है" हमारी प्राथमिकताओं के निर्धारण का मापदण्ड रहा है।

हज़रत मोहम्मद पैगम्बर साहब ने कहा था कि "कामों की जांच नियत से होगी"। यह बुनियादी बात है कि जब नियत साफ तो रास्ता आप। वैसे तो पिछले चार दशकों में वायदे और घोषणायें तो बहुत हुईं लेकिन उनका मकसद कदाचित वोट बैंक की तिजोरी भरना था। परन्तु जनता गुमराह नहीं हुई। जनता दल सरकार निर्वाचित और खुली सरकार है। यह सरकार मनोनीत सरकार नहीं है और इसमें जनता को दिये गये वायदे पूरा करने का उत्तरदायित्व मौजूद है। इसीलिए हम शिलान्यास के बजाय उद्घाटन की परम्परा चलाना चाहते है।

तुलसी दास जी ने कहा था–

मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहुं एक।
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक॥

इसी प्रेरणा से हमारी सरकार कुछ मुट्ठीभर लोगों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए है। गरीबों और निर्बल वर्ग के लिए है। समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है।

मान्यवर, आप सभी सम्मानित सदस्यगण एक कुशल राजनेता के रूप में अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की प्राथमिकता निश्चित करेंगे। इस पुनीत अवसर पर आज मैं इस राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के साथ-साथ सबसे जड़मूल इकाई ग्राम सभा से ले कर सर्वोच्च पंचायत संस्था तक के समस्त जनप्रतिनिधियों से दृढ़तापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वे उत्तर प्रदेश की प्रगति और जनता की उन्नति के इस नये अभियान में निजी अथवा दलीय हितों से ऊपर उठ कर सक्रिय भागीदारी करें। यह सदन जो फैसला स्वीकार करें उसके एक-एक पैसे के प्रयोग पर भी सतर्क निगाह रखनी होगी क्योंकि हमारा राजकोष इस पिछड़े प्रदेश की अत्यन्त गरीब जनता के पसीने की कमाई से बना है। इस कार्य में हमें सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधियों की समालोचनाओं की भी आवश्यकता है जो निःशुल्क ढेर सारी उपयोगी सूचनायें तथा जनता के विचार हमें रोज पहुंचाते हैं।

इस प्रदेश की विशालता हमारे लिए गौरव की बात है। राजधानी लखनऊ, महानगरों और जनपद मुख्यालय से ले कर बुन्देलखण्ड, पर्वतीय, पूर्वान्चल और बीहड़ के दुर्गम स्थानों तथा गांव-गांव तक फैले सरकार के हर छोटे बड़े कर्मचारी/अधिकारी से भी हमारा आह्वान है कि इस प्रदेश की जनता के लिए प्रस्तुत इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपनी-अपनी जगह सतर्क, सजग और

परिश्रम के साथ सक्रिय भूमिका निभायें। समाज के हर वर्ग से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यही मेरा अनुरोध है।

हम बख्शीश के बजाय परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं, जिससे हमेशा के लिए दुख दर्द मिटे। हमारा ध्येय व्यवस्था परिर्वतन और समाज परिर्वतन के लिये आम जनता और विशेष कर गरीबों और दलितों में बराबरी की भूख तथा अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रवृति और शक्ति पैदा करना है। हमारे आज के इस बजट से या प्रस्तावित कार्यक्रमों से प्रदेश की सारी गरीबी या हर समस्या हल नहीं हुई। हमारी सरकार ने आज की स्थिति और सीमित संसाधनों में जितना अधिकतम कर सकती थी उसे करने का प्रयास किया है। आने वाले वर्षों में संसाधनों की बढोत्तरी के साथ कार्यक्रमों का भी विस्तार होगा। लेकिन समाज से असमानता और अन्याय पूरी तरह मिटा कर आम समानता लाने के लिये जनशक्ति जागृत करना होगा। स्वयं में विश्वास जागृत करना होगा। सरकार की तरफ केवल निगाहें नहीं रखनी होंगी बल्कि कर्तव्यों के प्रति सजगता बनानी होगी। एक नयी उद्यमिता की संस्कृति बनानी होगी। केवल विधान मण्डल और संसद द्वारा ही कोई बड़ा परिवर्तन या बड़ी चीज होने वाली नहीं है। यह भी खेतों से, खलिहानों से, गांव के गलियारों से, कारखानों में मशीनों से, बाजार से, वित्तीय संस्थाओं से ही सम्भव होगा। परिवर्तन वहां से होगा जहां किसान-मजदूर और आम जनता रहती है। सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि वह सदैव जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के पथ पर चलती रहेगी।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। वित्त सचिव श्री भोलानाथ तिवारी , वित्त सचिव (व्यय नियंत्रण) श्री नवीन चन्द्र बाजपेई, सयुंक्त सचिव वित्त श्री प्रेम प्रकाश वैरिया एवं बजट अधिकारी श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होनें बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया है। प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित इन शब्दों के साथ मैं वित्तीय वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं।

25 ज्येष्ठ, शक सम्वत् 1912
तदनुसार
15, जून, 1990

D. 5494
11.12.90

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० - 31 सा० (वित्त)–20-6-90–2,000 (फोटो)

NIEPA DC
D05494